
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग - ए
(संदर्भ कंडिका - झारखण्ड की रूप रेखा; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय						
ए. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़	
	(बी)	2010-11			3.30 करोड़	
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 के जनगणना के अनुसार (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.))			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार (अखिल भारतीय घनत्व= 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.))			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ² (अखिल भारतीय अनुपात 30 प्रतिशत)				42.4 प्रतिशत	
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 प्रतिशत)			44 प्रतिशत	
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 72.99 प्रतिशत)			66.41 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ¹ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)				37	
7	गिनी गुणांक ³ 2					
	(ए)	ग्रामीण(अखिल भारत-0.29)			0.24	
	(बी)	शहरी (अखिल भारत-0.38)			0.36	
8	वर्ष 2004-05 को आधार मानते हुए चालू मूल्य पर 2014-15 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 197514 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2005-06 से 2014-15)		झारखण्ड		12.38 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		13.86 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2005-06 से 2014-15) ⁴		झारखण्ड		13.97 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		15.44 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि ⁵ (2005-06 से 2014-15)		झारखण्ड		13.41 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		12.76 प्रतिशत	
ब. वित्तीय आँकड़ा ⁴						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़ा (प्रतिशत में)			
			2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
	सी.ए.जी.आर.		सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	15.76	15.14	16.10	20.77
2.	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	15.32	15.13	10.51	8.28
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	13.53	12.85	10.07	15.52
4.	डी.	कुल व्यय का	15.23	10.80	19.32	35.46
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	14.61	12.51	21.87	17.37
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	11.88	14.55	47.89
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	10.14	28.73	42.12
8.	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	15.23	20.82	11.75	7.69
9.	आई.	पेंशन का	18.70	23.18	12.43	-0.63

¹सैंसस इंडो इण्डिया 2011 के अनंतिम कुल जनसंख्या

²गरीबी मापन के प्रक्रिया के पुनरीक्षण पर विशेषज्ञ समिति (रंगराजन), योजना आयोग जून 2014), पृष्ठ-66

³<http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data2312/DatabookDec2014%20106.pdf>

⁴ CSO (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijs=3&menu_id=82). 2014-15 के लिए गुजरात (स्रोत : गुजरात राज्य का बजट प्रकाशन संख्या 30) एवं केरल (स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय) से संबंधित स.रा.घ.उ. के आंकड़े संगत महालेखाकार कार्यालयों से प्राप्त किए गए हैं।

⁵ केंद्र एवं राज्यों के लिए जनगणना अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा संयोजित जनसंख्या अनुमानन के लिए तकनीकी समूह के प्रतिवेदन तालिका -14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार कुल अनुमानित जनसंख्या)

परिशिष्ट 1.1 भाग - बी
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग-2: आकस्मिकता निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग-3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

भाग - सी: वित्त लेखे की अभिन्यास

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ प्रायः वित्तीय सम्पतियाँ होती हैं जिनका पूँजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	यह विवरणी राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों(खंड एवं उधारकर्ता के गुप के अनुसार) जिसे विवरणी 1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह सरकार का संस्थाओं आदि में निवेश का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सामविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्ता संस्थान के गुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित शेष का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	लघु शीर्षों द्वारा गैर योजना और योजना के अंतर्गत-अलग से राजस्व व्यय के लेखा को दर्शाती है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2014-15 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षों के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाईल को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2015 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2014-15 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त, स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.20	वैधानिक निकाय, सरकारी कम्पनियों, निकाय एवं अन्य संस्थाओं के ऋण इत्यादि के लिए पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.21	आकस्मिक निधि और लोक लेखा का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता को-एफिसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रूझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्ति

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	127281	135618	151655	172773	197514
स.रा.घ.उ. की विकास दर	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवार्य + आर्थिक सेवार्य
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)*2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)*2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति-विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्ति घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्ति

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 10 एवं 39)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	18781(88)	22420(89)	24770(83)	26137(85)	31565(83)
(i) कर राजस्व	5717(30)	6954(31)	8224(33)	9380(36)	10350(33)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4473(78)	5522(79)	6422(78)	7305(78)	8070(78)
राजस्व उत्पाद	388(7)	457(7)	578(7)	628(7)	740(7)
वाहनों पर कर	312(6)	392(6)	465(6)	495(5)	660(6)
मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क	328(6)	401(6)	492(6)	502(5)	531(5)
भू-राजस्व	131(2)	53(1)	96(1)	230(3)	84(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	21	41(0)	1(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	64(1)	88(1)	170(2)	219(2)	264(3)
(ii) कर भिन्न राजस्व	2803(15)	3038(14)	3536(14)	3753(14)	4335(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	6154(33)	7170(32)	8188(33)	8939(34)	9487(30)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4107(22)	5258(23)	4822(20)	4065(16)	7393(23)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	24	43	23	33
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	18805	22444	24813	26160	31598
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2447(12)	2671(11)	5199(17)	4703(15)	6690(17)
आंतरिक ऋण(अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	2315	2409	4591	4281	6537
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	229	369	316	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	132	33	239	106	153
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	21252	25115	30012	30863	38288
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	7721	10813	14495	14275	20189
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	28973	35928	44507	45138	58477
भाग-ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17945(86)	20992(86)	23400(83)	23472(82)	31795(83)
योजना	6004(33)	7646(36)	7743(33)	6288(27)	12436(39)
गैर योजना	11941(67)	13346(64)	15657(67)	17184(73)	19359(61)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6991(39)	7846(37)	8696(37)	9960(42)	10624(33)
सामाजिक सेवाएँ	6707(37)	7287(35)	8309(36)	8215(35)	11915(37)
आर्थिक सेवाएँ	4247(24)	5859(28)	6395(27)	5297(23)	9256(29)
सहायता अनुदान एवं अंश दान	-	-	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	2664(13)	3159(13)	4218(15)	4722(17)	5543(15)
योजना	2621(98)	3111(98)	4151(98)	4706(100)	5520(100)

गैर योजना	43(2)	48(2)	67(2)	16(0)	23(0)
सामान्य सेवाएँ	120(4)	156(5)	176(4)	168(3)	326(6)
सामाजिक सेवाएँ	682(26)	866(27)	1030(25)	924(20)	910(16)
आर्थिक सेवाएँ	1862(70)	2137(68)	3012(71)	3630(77)	4307(78)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	308(1)	217(1)	601(2)	222(1)	824(2)
13. कुल (10+11+12)	20917	24368	28219	28416	38162
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1299	1639	2183	1997	1880
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	1063(82)	1406(86)	1525(70)	1542(77)	1722(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	78(5)	520(24)	316(16)	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	236(18)	155(9)	138(6)	139(7)	158(8)
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	22216	26007	30402	30413	40042
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	7400	9728	13417	14094	19277
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	29616	35735	43819	44507	59319
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	(+)836	(+)1428	(+)1370	(+)2665	(-)230
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	(-)2112	(-)1924	(-)3406	(-)2256	(-)6564
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+) (21-23)	(+) 116	(+)343	(-)1015	(+)358	(-)3635
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2228	2267	2391	2614	2929
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3122	4530	6950	6422	12404
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	6	13	8	-
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	6	13	8	-
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	0.03	0.32	0.21	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	127281	135618	151655	172773	197514
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	28655	30664	34869	37594	43569
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	167	182	189	328	402
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	1503	573	1972	760	1824

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.5	5.1	5.4	5.4	5.2
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ.	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2
केंद्रीय अंतरण/ स.रा.घ.उ.	8.1	9.2	8.6	7.5	8.5
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	16.4	18.0	18.6	16.4	19.3
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	111.4	108.7	113.9	108.7	120.9
राजस्व व्यय/कुल व्यय	85.8	86.1	82.9	82.6	83.3
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	35.4	33.5	33.2	32.2	33.7
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	30.6	33.6	35.3	32.1	37.6
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.7	13.0	14.9	16.6	14.5
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.2	12.3	14.3	16.0	13.7
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.7	(+)1.1	(+)0.9	(+)1.5	(-)0.1
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)1.7	(-)1.4	(-)2.2	(-)1.3	(-)3.3
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.1	(+)0.3	(-)0.7	(+) 0.2	(-)1.8
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(+)39.6	(+)74.2	(+)40.2	(+)118.1	(-)3.5
प्राथमिक राजस्व संतुलन/ स.रा.घ.उ.	2.4	2.7	2.5	3.1	1.4
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	22.5	22.6	23.0	21.8	22.1
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	152.6	136.8	140.8	143.8	138.03
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)5145	(+)30	(+)373	(+)2698	(-)965
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	4.3	3.9	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	0.4	1.17	15.00	18.00	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	4014	6855	5782	6208	6593
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	89	95	98	100	103

टिप्पणी: घाटा एवं आधिक्य (-)एवं (+)के द्वारा दूसरे गुणांक से तुलना किया गया है।

* राज्य में राजस्व आधिक्य होने के कारण प्रासंगिक नहीं है।

@ स.रा.घ.उ. का अंक निदेशक सांख्यिकी एवं योजना विकास, झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

कोष्ठ में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 1.4 भाग - ए
वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2013-14		2014-15		2013-14		गैर योजना	योजना	कुल	2014-15
अनुभाग क: राजस्व									
26136.80	I. राजस्व प्राप्तियाँ		31564.56	23471.89	I. राजस्व व्यय	19358.99	12435.91	31794.90	31794.90
9379.79	कर राजस्व	10349.81		9959.36	सामान्य सेवाएँ	10346.74	276.71	10623.45	
				8215.34	सामाजिक सेवाएँ	4743.76	7171.58	11915.34	
3752.71	कर भिन्न राजस्व	4335.06		3922.16	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3053.31	2691.22	5744.53	
				977.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	709.08	648.92	1358.00	
8939.32	संघीय करों में राज्य के हिस्से	9487.01		710.40	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	445.78	1293.70	1739.48	
				53.12	सूचना एवं प्रसारण	51.13	14.82	65.95	
1319.91	गैर योजना अनुदान	1780.26		624.84	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	100.38	759.39	859.77	
1565.83	राज्य योजना हेतु अनुदान	4914.69		127.74	श्रम एवं श्रम कल्याण	48.95	42.30	91.25	
				1779.42	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	313.15	1721.22	2034.37	
1179.24	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	697.72		20.56	अन्य	21.98	0.00	21.98	
				5297.19	आर्थिक सेवाएँ	4268.49	4987.62	9256.11	
				975.02	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	468.57	621.46	1090.04	
				1429.57	ग्रामीण विकास	876.28	2625.04	3501.31	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				304.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	329.80	0.28	330.08	
				1520.77	ऊर्जा	2108.92	235.00	2343.92	
				186.09	उद्योग एवं खनिज	46.70	190.52	237.22	
				251.63	परिवहन	361.05	474.72	835.77	
				0.00	विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
				630.03	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	77.17	840.61	917.78	
				0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
				23471.89	कुल	19358.98	12435.92	31794.90	
	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		230.34	2664.91	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य/घाटा				0

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

26136.80	कुल		31794.90	26136.80	कुल				31794.90
अनुभाग ख									
704.75	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		1285.48		III. रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			4722.50	IV. पूँजीगत परिव्यय	22.82	5520.12	5542.94	5542.94
				168.09	सामान्य सेवाएँ	22.82	303.51	326.33	
				924.12	सामाजिक सेवाएँ	-	909.50	909.50	
				145.21	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	-	82.97	82.97	
				166.18	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	260.97	260.97	
				342.07	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	-	188.90	188.90	
				0.00	सूचना एवं प्रसारण	-	0.45	0.45	
				168.03	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	172.72	172.72	
अनुभाग ख अन्य (क्रमशः)									
				102.63	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-	160.02	160.02	
					अन्य	-	43.47	43.47	
				3630.09	आर्थिक सेवाएँ	-	4307.10	4307.10	
				15.26	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	-	93.30	93.30	
				1148.93	ग्रामीण विकास	-	1360.22	1360.22	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	
				454.01	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	378.94	378.94	
				0.00	ऊर्जा	-	-	-	
				2.00	उद्योग एवं खनिज	-	1.16	1.16	
				1994.65	परिवहन	-	2459.95	2459.95	
				15.44	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	-	13.53	13.53	
				4722.50	कुल	22.82	5520.12	5542.94	5542.94
23.32	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	33.06	33.06	221.91	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	34.44	789.34	823.78	823.78
0.00	विद्युत परियोजना से	0.00		175.34	विद्युत परियोजना को	-	779.04	779.04	
22.31	सरकारी सेवकों से	23.41		12.76	सरकारी सेवकों को	16.94	-	16.94	
1.01	अन्य से	9.65		33.81	अन्य को	17.50	10.30	27.80	
2664.91	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य				VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				230.34
4702.90	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		6690.12	1996.92	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	1879.88			1879.88
	बाह्य ऋण	0			बाह्य ऋण				

4281.17	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	6536.91		1542.59	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	1721.71		1721.71	
315.58	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन	0		315.58	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन			0.00	
	ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0			ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन				
106.15	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	153.21		138.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			158.17	
	VIII आकस्मिक निधि से विनियोग				VIII आकस्मिक निधि से विनियोग				
	IX आकस्मिक निधि से राशि का स्थानांतरण				IX आकस्मिक निधि से व्यय				
14275.26	X लोक लेखा प्राप्ति		20189.17	14094.33	Xलोक लेखा संवितरण				19276.68
760.20	लघु बचत एवं भविष्य निधि	842.57		751.47	लघु बचत एवं भविष्य निधि			1045.13	
293.18	रक्षित निधि	307.85		21.29	रक्षित निधि			32.62	
-58.77	उचन्त एवं विविध	18.08		-57.13	उचन्त एवं विविध			34.37	
6076.81	प्रेषण	6838.22		5920.48	प्रेषण			7076.00	
7203.84	जमा एवं अग्रिम	12182.45		7458.22	जमा एवं अग्रिम			11088.56	
	अन्तर्रा-ज्यीय समायोजन			50.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन			-	
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			1285.48	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			444.21	444.21
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				428.20	रिजर्व बैंक में जमा			-224.13	
				5.44	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			2.21	
					चिन्हित निधि का निवेश			-	
				851.84	रोकड़ शेष का निवेश			666.13	
48507.94	कुल		59992.73	48507.94	कुल				59992.73

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 1.4 भाग - बी
31 मार्च 2015 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

31.03.14 को	दायित्व		31.03.15 को
27940.16	आन्तरिक ऋण		32755.36
14311.11	ब्याज वाले बाजार ऋण	18799.46	
0.00	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.00	
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30	
3968.24	अन्य संस्थाओं से ऋण	3960.58	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
9654.51	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9989.02	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	0.00	
2091.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2086.99
0.00	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	0.00	
4.09	गैर योजना ऋण	1.80	
2087.86	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2085.19	
150.00	आकस्मिकता निधि		150.00
1558.59	लघु बचत भविष्य निधि		1356.02
5411.58	जमा		6503.93
591.56	रक्षित निधि		866.79
0.00	अंतरण शेष		0.00
117.72	उचंत एवं विविध शेष		101.43
2153.09	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति		1402.84
40014.65	कुल		45223.36
	सम्पत्ति		
30471.85	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		36014.79
140.35	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	155.01	
30331.50	अन्य पूँजीगत परिव्यय	35859.78	
50.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन		
7946.44	ऋण एवं अग्रिम		8737.16
7300.55	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	8079.60	
664.29	अन्य विकास ऋण	682.43	
-18.40	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-24.87	
5.35	अग्रिम		3.80
	उचंत एवं विविध शेष		
1285.48	नगद		444.21
0.00	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0.00	
428.20	रिजर्व बैंक में जमा	-224.13	
0.00	जमा निधि का निवेश	0.00	
5.44	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	2.21	
851.84	नगद शेष निवेश	666.13	
255.53	प्रेषण शेष		23.40

0.00	सरकारी लेखे में घाटा		0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य		
40014.65	कुल		45223.36

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग बी.** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरित रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्ति योग्य मर्दे या भण्डार अँकड़ों में विचलन या हास वाली मर्दे इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। ₹ 37.26 करोड़ (निवल विकलन)के अंतर को भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को समायोजन के लिए भेजा गया एवं अक्टूबर 1987 से पहले की अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ का समायोजन प्रक्रियाधीन है (अगस्त 2015)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 27)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और परिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; शमशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 30)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	आंशिक
2	भूसुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यतायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विद्युतिकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत ऊर्जा श्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	नहीं
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विकसिप्रों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषतः अ.जा.एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक विभिन्न अनुदानों/विनियोग की विवरणी
(संदर्भ कडिका 2.4.1; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	958.18	552.00	57.61
2	2	पशुपालन विभाग	163.67	41.73	25.50
3	3	भवन निर्माण विभाग	137.56	43.12	31.35
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	34.46	14.19	41.15
5	12	वित्त विभाग	163.32	72.51	44.46
6	14	ऋण की वापसी/अदायगी	35.00	35.00	100.00
7	17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	72.85	23.36	32.07
8	18	खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1281.75	439.49	34.29
9	19	वन एवं पर्यावरण विभाग	493.46	116.88	23.69
10	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2315.37	967.84	41.80
11	21	उच्च शिक्षा विभाग	1034.87	333.35	32.21
12	23	उद्योग विभाग	368.43	148.57	40.33
13	24	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	84.95	19.88	23.40
14	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1233.61	349.95	28.37
15	27	विधि विभाग	287.52	70.79	24.62
16	35	योजना एवं विकास विभाग	372.77	99.14	26.60
17	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	981.40	361.53	36.84
18	39	आपदा प्रबंधन विभाग	490.96	164.29	33.46
19	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	387.04	99.80	25.79
20	42	ग्रामीण विकास विभाग	3729.26	1906.78	51.13
21	45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	97.31	48.21	49.54
22	48	शहरी विकास विभाग	2191.36	1088.32	49.66
23	49	जल संसाधन विभाग	348.76	87.83	25.18
24	50	लघु सिंचाई विभाग	119.02	43.31	36.38
25	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	101.45	48.52	47.83
26	53	मत्स्य विभाग	40.96	11.93	29.13
27	54	डेयरी	115.02	40.22	34.97
28	55	ग्रामीण कार्य विभाग	1015.65	613.99	60.45
29	56	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2244.17	786.09	35.03
30	58	माध्यमिक शिक्षा	1242.29	523.59	42.15
31	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	6234.54	2129.56	34.16
32	60	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	1320.03	455.46	34.50

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
पूँजीगत					
33	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	55.00	11.72	21.31
34	3	भवन निर्माण विभाग	212.94	52.92	24.85
35	10	ऊर्जा विभाग	1142.21	363.07	31.79
36	12	वित्त विभाग	61.40	44.46	72.41
37	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	393.29	132.31	33.64
38	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	95.95	46.17	48.13
39	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	127.27	73.73	57.94
40	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	182.65	43.43	23.78
41	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	21.15	10.72	50.69
42	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	142.60	91.63	64.26
43	45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	31.65	19.96	63.06
44	49	जल संसाधन विभाग	1759.20	1196.28	68.00
45	50	लघु सिंचाई विभाग	442.50	301.88	68.22
46	51	कल्याण विभाग	168.56	49.38	29.30
47	53	मत्स्य विभाग	56.86	47.09	82.82
48	55	ग्रामीण कार्य विभाग	1980.54	1021.35	51.57
49	60	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	226.00	65.98	29.19
कुल			36796.76	15309.31	41.61

परिशिष्ट 2.2

वर्ष 2014-15 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण
(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1.	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-789-91	23.00	22.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
2.		2401-00-796-02	28.00	21.41	कारण नहीं बताये गये हैं।
3.		2401-00-796-28	45.00	24.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
4.		2401-00-796-91	170.00	123.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
5.		2401-00-796-99	39.50	32.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
6.		2401-00-800-91	87.00	38.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
7.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-13	50.00	20.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
8.	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-796-03	203.39	26.72	मित्तव्ययिता के कारण
9.		6801-00-800-03	485.00	63.72	मित्तव्ययिता के कारण
10.		6801-00-800-24	39.85	39.85	अप्रयुक्त
11.		6801-00-202-01	20.00	20.00	अप्रयुक्त
12.		6801-00-205-23	124.00	124.00	अप्रयुक्त
13.		6801-00-789-23	24.00	24.00	अप्रयुक्त
14.		6801-00-796-23	52.00	52.00	अप्रयुक्त
15.	12-वित्त विभाग	7610-00-201-01	40.00	26.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
16.	13-ब्याज संदाय	2449-04-101-03	160.00	30.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
17.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-01	150.00	78.43	निधियों का अधिक प्रावधान
18.		6003-00-109-02	100.00	50.00	निधियों का अधिक प्रावधान
19.	15-पेंशन	2071-01-101-08	186.98	181.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
20.		2071-01-101-09	500.00	441.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
21.		2071-01-101-10	40.00	34.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
22.		2071-01-104-03	70.00	36.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
23.		2071-01-117-03	200.00	28.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
24.	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-101-02	57.96	22.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
25.	18-खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-27	30.47	23.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
26.		3456-00-102-39	106.75	106.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
27.		3456-00-789-39	45.75	45.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
28.		3456-00-796-38	25.19	25.19	कारण नहीं बताये गये हैं।
29.		3456-00-796-39	152.50	152.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
30.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-05	60.00	22.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
31.		2210-01-103-39	800.00	472.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
32.		2210-02-103-01	162.55	20.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
33.		2210-02-103-03	105.64	38.66	कारण नहीं बताये गये हैं।
34.		2211-01-101-01	100.00	66.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
35.		2211-01-101-01	52.98	31.02	कारण नहीं बताये गये हैं।
36.		2210-01-104-44	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
37.		2210-01-109-40	70.13	70.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
38.		2210-01-796-44	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
39.		2210-05-105-16	16.52	16.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
40.	21-उच्च शिक्षा	2202-03-102-01	142.75	24.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
41.		2202-03-102-04	267.81	65.85	कारण नहीं बताये गये हैं।
42.		2202-03-102-62	82.15	55.02	कारण नहीं बताये गये हैं।
43.		2202-03-102-63	39.86	25.38	कारण नहीं बताये गये हैं।
44.	22-गृह विभाग	2055-01-110-01	212.35	58.71	कारण नहीं बताये गये हैं।
45.		2055-01-800-69	63.50	29.80	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
46.	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-16	80.00	63.67	कारण नहीं बताये गये हैं।
47.		2852-80-102-66	24.00	22.47	कारण नहीं बताये गये हैं।
48.	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-03 (सी.एस.एस.)	214.57	31.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
49.		2230-01-103-10	25.40	25.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
50.		2230-01-796-10 (सी.एस.एस.)	25.40	25.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
51.		2230-01-796-51 (योजना)	46.23	46.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
52.		2230-01-796-51	47.57	47.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
53.	27-विधि विभाग	2014-00-105-01	226.40	43.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
54.	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4225-80-277-12 (सी.पी.एस.)	38.16	37.76	कारण नहीं बताये गये हैं।
55.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-10 (सी.एस.एस.)	148.33	50.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
56.		2215-01-106-11	39.25	30.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
57.		2215-01-796-10 (सी.एस.एस.)	167.10	71.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
58.		2215-01-796-10 (योजना)	167.10	137.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
59.	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-02	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
60.	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-03	132.11	79.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
61.		5054-03-337-01	880.00	142.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
62.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-789-05 (सी.एस.एस.)	51.75	44.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
63.		2501-02-101-05	51.11	42.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
64.		2501-02-796-05 (सी.एस.एस.)	131.10	112.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
65.		2501-02-796-05 (योजना)	41.43	31.35	कारण नहीं बताये गये हैं।
66.		2501-02-800-05 (सी.एस.एस.)	174.15	149.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
67.		2505-01-702-02 (सी.एस.एस.)	264.60	205.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
68.		2505-01-702-02 (योजना)	88.20	66.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
69.		2505-01-789-02	81.00	38.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
70.		2505-01-796-02 (सी.एस.एस.)	194.40	85.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
71.		2505-01-796-02 (योजना)	64.80	25.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
72.		2505-01-796-04 (सी.एस.एस.)	727.65	372.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
73.		2505-02-101-04 (योजना)	190.85	44.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
74.		2505-02-101-04 (सी.एस.एस.)	222.75	114.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
75.		2505-02-796-04 (सी.एस.एस.)	534.60	273.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
76.		2505-02-796-04 (योजना)	234.40	32.39	कारण नहीं बताये गये हैं।
77.		2053-00-800-09	24.64	24.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
78.	2501-02-101-01	52.92	52.92	कारण नहीं बताये गये हैं।	

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण	
79.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-796-01	38.88	38.88	कारण नहीं बताये गये हैं।	
80.	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-06 (सी.पी.एस.)	50.00	33.54	कारण नहीं बताये गये हैं।	
81.		4202-02-105-06	66.60	53.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
82.	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-001-61	32.25	32.25	कारण नहीं बताये गये हैं।	
83.	47-परिवहन विभाग	3075-60-796-03	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
84.	48- शहरी विकास विभाग	2217-80-191-60 (सी.एस.एस.)	33.75	27.39	कारण नहीं बताये गये हैं।	
85.		2217-80-191-64	77.81	35.69	कारण नहीं बताये गये हैं।	
86.		2217-80-192-08	91.07	35.20	कारण नहीं बताये गये हैं।	
87.		2217-80-193-08	75.68	27.05	कारण नहीं बताये गये हैं।	
88.		2217-80-796-56	40.00	20.75	कारण नहीं बताये गये हैं।	
89.		2217-80-796-57	81.00	65.89	कारण नहीं बताये गये हैं।	
90.		2217-80-796-58	222.00	161.55	कारण नहीं बताये गये हैं।	
91.		2217-80-796-60	45.00	41.23	कारण नहीं बताये गये हैं।	
92.		2217-80-796-64	83.92	65.15	कारण नहीं बताये गये हैं।	
93.		2217-80-191-30	23.19	23.19	कारण नहीं बताये गये हैं।	
94.		2217-80-191-57	54.00	54.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
95.		2217-80-191-58	148.00	148.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
96.		2217-80-191-62	42.00	42.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
97.		2217-80-192-09	44.05	44.05	कारण नहीं बताये गये हैं।	
98.		2217-80-193-09	36.61	36.61	कारण नहीं बताये गये हैं।	
99.		2217-80-796-66	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
100.		2217-80-796-67	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
101.		49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	160.92	34.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
102.			4700-80-796-11	125.00	35.77	कारण नहीं बताये गये हैं।
103.	4700-80-796-12		713.00	446.14	कारण नहीं बताये गये हैं।	
104.	4700-80-800-64		33.00	21.71	कारण नहीं बताये गये हैं।	
105.	50- लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-01	90.69	24.77	कारण नहीं बताये गये हैं।	
106.		4702-00-101-35 (योजना)	157.00	137.51	कारण नहीं बताये गये हैं।	
107.		4702-00-789-35 (योजना)	25.00	23.95	कारण नहीं बताये गये हैं।	
108.	4702-00-796-35 (योजना)	130.00	87.16	कारण नहीं बताये गये हैं।		
109.	51-कल्याण वभाग	2225-01-796-04 (सी.एस.एस.)	71.32	62.18	कारण नहीं बताये गये हैं।	
110.	55-ग्रामीण कार्य विभाग	2515-00-001-28	70.00	38.26	कारण नहीं बताये गये हैं।	
111.		2515-00-102-41	760.48	550.52	कारण नहीं बताये गये हैं।	
112.		4515-00-103-04	289.00	218.59	कारण नहीं बताये गये हैं।	
113.		4515-00-103-37	800.00	760.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
114.		4515-00-796-67	51.54	25.47	कारण नहीं बताये गये हैं।	
115.	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-15	245.00	81.76	कारण नहीं बताये गये हैं।	
116.		2515-00-001-38	176.00	68.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
117.		2515-00-796-03	75.68	45.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
118.		2515-00-197-03	75.68	45.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
119.		2515-00-198-02	52.50	36.54	कारण नहीं बताये गये हैं।	
120.		2515-00-198-03	227.05	136.20	कारण नहीं बताये गये हैं।	
121.		2515-00-191-04	52.51	31.51	कारण नहीं बताये गये हैं।	
122.	2515-00-796-15	153.00	70.32	कारण नहीं बताये गये हैं।		

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
123.	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-191-38	263.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
124.		2515-00-101-37	29.26	29.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
125.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	476.35	193.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
126.		2202-02-109-35	46.92	46.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
127.		2202-02-109-45	77.41	77.41	कारण नहीं बताये गये हैं।
128.		2202-02-789-45 (सी.एस.एस.)	20.64	20.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
129.		2202-02-796-45	43.58	43.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
130.	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2856.17	1126.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
131.		2202-01-101-03 (सी.एस.एस.)	152.13	59.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
132.		2202-01-101-45	76.80	60.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
133.		2202-01-102-02	230.04	77.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
134.		2202-01-789-03 (सी.एस.एस.)	60.30	24.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
135.		2202-01-789-25 (सी.एस.एस.)	178.85	77.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
136.		2202-01-789-45	32.64	30.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
137.		2202-01-796-03 (सी.एस.एस.)	157.55	102.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
138.		2202-01-796-25 (सी.एस.एस.)	452.39	258.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
139.		2202-01-796-45	82.56	60.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
140.	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-101-51 (सी.एस.एस.)	213.84	100.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
141.		2235-02796-51 (सी.एस.एस.)	231.66	100.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
142.		2236-02-101-02 (सी.एस.एस.)	96.85	20.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
143.		4235-02-103-59	108.00	31.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
144.		4235-02-796-59	108.00	27.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			22784.67	12255.10	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ से अधिक की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	552.00	0.00	552.00
2	2-पशुपालन विभाग	41.73	0.00	41.73
3	3-भवन निर्माण विभाग	43.12	0.00	43.12
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	14.19	0.00	14.19
5	5- राज्यपाल सचिवालय	1.59	0.00	1.59
6	6- निर्वाचन	35.37	0.00	35.37
7	9-सहकारिता विभाग	13.07	0.00	13.07
8	10-ऊर्जा विभाग	25.77	15.81	9.96
9	12-वित्त विभाग	72.51	0.00	72.51
10	14-ऋण की वापसी/अदायगी	35.00	0.00	35.00
11	15-पेंशन	825.12	0.00	825.12
12	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	23.36	0.00	23.36
13	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	439.49	0.00	439.49
14	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	116.88	94.83	22.05
15	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	967.84	6.45	961.39
16	21-उच्च शिक्षा	333.35	37.29	296.06
17	22-गृह विभाग	341.90	0.00	341.90
18	23-उद्योग विभाग	148.57	0.00	148.57
19	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	19.88	17.94	1.94
20	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	349.95	0.28	349.67
21	27-विधि विभाग	70.79	0.00	70.79
22	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	3.92	0.00	3.92
23	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	9.39	0.00	9.39
24	35-योजना एवं विकास विभाग	99.14	96.30	2.84
25	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	361.53	27.42	334.11
26	38-निबंधन विभाग	5.64	0.00	5.64
27	39-आपदा प्रबंधन विभाग	164.29	0.00	164.29
28	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	99.80	94.32	5.48
29	41-पथ निर्माण विभाग	40.27	0.00	40.27
30	42-ग्रामीण विकास विभाग	1906.78	0.00	1906.78
31	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	21.31	10.85	10.46
32	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	48.21	0.00	48.21
33	47-परिवहन विभाग	41.78	0.00	41.78
34	48-शहरी विकास विभाग	1088.32	0.00	1088.32
35	49-जल संसाधन विभाग	87.83	23.61	64.22
36	50-लघु सिंचाई विभाग	43.31	15.64	27.67
37	51-कल्याण विभाग	169.02	0.00	169.02
38	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	48.52	28.60	19.92
39	53-मत्स्य	11.93	0.00	11.93
40	54-डेयरी	40.22	0.00	40.22
41	55-ग्रामीण कार्य विभाग	613.99	0.00	613.99

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
42	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	786.09	1.92	784.17
43	57-आवास विभाग	1.44	0.00	1.44
44	58-माध्यमिक शिक्षा	523.59	0.00	523.59
45	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2129.56	0.00	2129.56
46	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	455.46	0.00	455.46
पूँजीगत				
47	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	11.72	0.00	11.72
48	2-पशुपालन विभाग	8.71	0.00	8.71
49	3-भवन निर्माण विभाग	52.92	0.00	52.92
50	8-नागर विमानन विभाग	3.27	0.00	3.27
51	9-सहकारिता विभाग	7.80	0.00	7.80
52	10-ऊर्जा विभाग	363.07	213.07	150.00
53	12-वित्त विभाग	44.46	0.00	44.46
54	14-ऋण की वापसी/अदायगी	115.42	0.00	115.42
55	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	4.87	0.00	4.87
56	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	7.91	0.00	7.91
57	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	132.31	27.96	104.35
58	22-गृह विभाग	39.13	0.00	39.13
59	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	46.17	0.00	46.17
60	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	3.74	0.00	3.74
61	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	73.73	0.00	73.73
62	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	43.43	0.00	43.43
63	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	10.72	1.28	9.44
64	41-पथ निर्माण विभाग	177.60	0.00	177.60
65	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	91.63	44.32	47.31
66	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	19.96	0.00	19.96
67	46-पर्यटन विभाग	5.72	0.80	4.92
68	47-परिवहन विभाग	1.59	0.00	1.59
69	48-शहरी विकास विभाग	6.94	0.00	6.94
70	49-जल संसाधन विभाग	1196.28	967.25	229.03
71	50-लघु सिंचाई विभाग	301.88	51.17	250.71
72	51-कल्याण विभाग	49.38	0.00	49.38
73	53-मत्स्य	47.09	0.00	47.09
74	54-डेयरी	3.37	0.00	3.37
75	55-ग्रामीण कार्य विभाग	1021.35	0.00	1021.35
76	57-आवास विभाग	1.00	0.00	1.00
77	58-माध्यमिक शिक्षा	2.71	0.00	2.71
78	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	5.51	0.00	5.51
79	60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	65.98	0.00	65.98
कुल		17240.19	1777.11	15463.08

परिशिष्ट 2.4

31 मार्च 2015 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले

(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1.	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-796-10	5.00
2.		2801-80-800-08	5.00
3.		2801-80-800-09	5.00
4.		6801-00-201-24	39.85
5.		6801-00-202-01	20.00
6.		6801-00-205-23	31.00
7.		6801-00-789-03	12.33
8.		6801-00-789-23	6.00
9.		6801-00-796-03	26.72
10.		6801-00-796-23	13.00
11.		6801-00-800-03	63.72
12.	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-001-01	6.07
13.		2406-01-101-01	24.78
14.		2406-01-101-06	6.07
15.		2406-01-796-13	8.33
16.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	2220-60-106-02	7.54
17.	35-योजना एवं विकास विभाग	2235-02-102-01	12.05
18.		2235-02-796-01	35.24
19.		3454-02-204-16	7.69
20.		3454-02-796-16	12.86
21.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-09	8.54
22.		2215-01-102-03	6.18
23.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-04	8.73
24.		2029-00-102-04	6.93
25.		2029-00-103-01	5.68
26.		2029-00-104-01	25.80
27.		2029-00-796-01	8.56
28.		2029-00-796-04	10.40
29.		2029-00-796-04	13.10
30.		2029-00-796-14	5.59
31.	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-06	33.54
32.		4202-02-105-06	6.17
33.	49-जल संसाधन विभाग	2701-03-001-06	9.72
34.		2701-03-001-07	7.04
35.		4700-80-789-12	405.40
36.		4700-80-796-09	182.00
37.		4700-80-796-12	375.01
38.	50-लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-02	7.57
39.		4702-00-101-35	9.30
40.		4702-00-796-35	20.65
सकल योग			1504.16

परिशिष्ट 2.5

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए
(संदर्भ : कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 58)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
1.	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	87503.12	40617.67	46885.45	8314.56
2.	2-पशुपालन विभाग	16132.45	12193.16	3939.29	234.08
3.	3-भवन निर्माण विभाग	13030.79	9443.91	3586.88	725.10
4.	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	3108.61	2027.71	1080.90	337.70
5.	5-राज्यपाल सचिवालय	722.96	634.28	88.68	70.75
6.	12-वित्त विभाग	16026.47	9081.29	6945.18	305.83
7.	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	6123.61	4949.21	1174.40	1161.24
8.	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	102276.16	84225.92	18050.24	25899.18
9.	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	44672.65	37658.23	7014.42	4673.09
10.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	222585.18	134753.21	87831.97	8952.09
11.	21-उच्च शिक्षा	94325.33	70151.71	24173.62	9161.55
12.	22-गृह विभाग	297705.41	282688.32	15017.09	19172.44
13.	23-उद्योग विभाग	30253.29	2,1986.37	8266.92	6589.78
14.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	6953.34	6507.18	446.16	1541.76
15.	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	109517.51	88365.92	21151.59	13843.04
16.	27-विधि विभाग	26007.32	21672.68	4334.64	2744.56
17.	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	2999.38	2128.42	870.96	67.73
18.	32-विधान मंडल	5419.27	5025.35	393.92	282.61
19.	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1864.03	1594.26	269.77	72.79
20.	35-योजना एवं विकास विभाग	36517.31	27362.50	9154.81	759.34
21.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	77141.22	61986.50	15154.72	20998.49
22.	38-निबंधन विभाग	1713.66	1685.62	28.04	535.48
23.	39-आपदा प्रबंधन विभाग	47468.84	32667.10	14801.74	1627.27
24.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	38659.64	28723.26	9936.38	44.02
25.	41-पथ निर्माण विभाग	28521.96	27907.36	614.60	3412.38
26.	42-ग्रामीण विकास विभाग	332688.78	182247.11	150441.67	40236.77
27.	46-पर्यटन विभाग	965.58	884.97	80.61	47.74
28.	48-शहरी विकास विभाग	183768.65	110303.51	73465.14	35367.30
29.	49-जल संसाधन विभाग	32879.66	26092.62	6787.04	1996.03
30.	50-लघु सिंचाई विभाग	11300.95	7571.83	3729.12	601.52
31.	51-कल्याण विभाग	93550.41	86296.98	7253.43	9648.11
32.	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	7497.90	5292.83	2205.07	2646.73
33.	53-मत्स्य	4067.97	2903.19	1164.78	28.19
34.	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	174589.01	145807.44	28781.57	49827.52
35.	57-आवास विभाग	370.49	272.07	98.42	46.07
36.	58-माध्यमिक शिक्षा	117176.53	71870.01	45306.52	7052.12
37.	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	611447.83	410498.05	200949.78	12006.00
38.	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	131938.59	86456.85	45481.74	10864.50
कुल राजस्व (दत्तमत)		3019491.86	2152534.60	866957.26	301895.46

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनपूरक प्रावधान
पूँजीगत (दत्तमत)					
39.	3-भवन निर्माण विभाग	17100.00	16002.05	1097.95	4194.00
40.	49-जल संसाधन विभाग	148100.00	56291.84	91808.16	27820.00
41.	50-लघु सिंचाई विभाग	42200.00	14062.03	28137.97	2050.00
42.	53-मत्स्य	4085.70	976.96	3108.74	1600.00
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		211485.70	87332.88	124152.82	35664.00
सकल योग		3230977.56	2239867.48	991110.08	337559.46

परिशिष्ट 2.6

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ :कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 60)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
2013-14	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
कुल			2377.91

स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

* आधिक्य राशि केवल ₹ 8,807 थी।

@ आधिक्य राशि केवल ₹ 1,072 थी।

\$ आधिक्य राशि केवल ₹ 81,665 थी।

^ आधिक्य राशि केवल ₹ 11,160 थी।

परिशिष्ट 2.7
निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ :कंडिका 2.4.9; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-001-04	1.98	-	(-)7.63
2.	3-भवन निर्माण विभाग	2052-00-090-20	1.65	-	(-)18.35
3.		2059-80-001-01	7.50	-	(-)88.36
4.		2059-80-001-03	24.00	-	(-)81.31
5.	6-निर्वाचन	2015-00-102-01	50.00		(-)288.71
6.	9-सहकारिता विभाग	3451-00-90-05	5.00		(-)7.10
7.	12-वित्त विभाग	2052-00-090-08	24.20		(-) 88.50
8.	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-03	253.00	-	(-)53.62
9.		2049-60-701-03	15.00	-	(-)815.11
10.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-08	2100.00	-	(-)69.96
11.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2052-00-090-07	0.96	-	(-)77.28
12.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3451-00-090-11	15.10	-	(-)21.72
13.		3456-00-102-13	2668.70	-	(-)412.09
14.		3456-00-789-13	1143.70	-	(-)386.85
15.		3456-00-789-13	3812.45		(-)779.82
16.	20-स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-04	42.00		(-)63.13
17.		2210-01-110-13	10.00	-	(-)483.00
18.		2210-01-110-15	20.00	-	(-)144.40
19.		2210-04-103-01	15.00	-	(-)28.80
20.		2210-06-001-04	80.00	-	(-)46.89
21.		2210-06-101-01	200.00	-	(-)84.70
22.		2210-06-101-03	200.00	-	(-)393.92
23.		2210-06-101-05	180.00		(-)213.70
24.		2210-06-102-01	10.00		(-)19.47
25.		2210-06-104-03	6.00	-	(-) 7.49
26.		2210-06-106-01	62.00	-	(-)4.72
27.	2251-00-090-07	1.00		(-)96.70	
28.	22-गृह विभाग	2055-00-113-01	49.14	-	(-)4.94
29.		2056-00-101-01	0.75		(-)444.42
30.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	2220-60-106-02	3.00	-	(-)19.13
31.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-796-06	350.00	-	(-)213.81
32.	38-निबंधन विभाग	2030-03-001-04	25.00		(-)35.91
33.	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-01	3000.00		(-)1226.62
34.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-01	9.66	-	(-)71.85
35.		3451-00-090-10	21.45	-	(-)16.78
36.	55-ग्रामीण कार्य विभाग	4515-00-796-07	4.70	-	(-)2547.35
37.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-001-01	0.68	-	(-)22.53
38.	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-001-01	0.90	-	(-)65.96
कुल			14414.52	-	(-)9452.63

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य(+)
39.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-101-03	-	28.34	(-) 1128.17
40.		2403-00-102-05	-	1.98	(-)61.29
41.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	-	32.55	(-)903.33
42.	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-001-04	-	0.96	(-)43.97
43.	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-101-01	-	16.00	(-)28.57
44.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	-	6.50	(-) 2038.40
45.	22-गृह विभाग	2055-00-003-01	-	49.14	(-)91.90
46.		2056-00-001-01	-	0.75	(-)24.60
47.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	2220-01-001-01	-	2.25	(-)21.58
48.	38-निबंधन विभाग	2030-03-001-02	-	25.00	(-)147.15
49.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-102-10	-	19.69	(-) 534.19
50.	51-कल्याण विभाग	2225-01-227-03	-	7.51	(-) 295.77
कुल			-	190.67	(-)5318.92
51.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-01	-	1.00	(+)163.66
कुल			-	1.00	(+)163.66

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये अत्यधिक अभ्यर्पण के समीक्षा के परिणाम

(संदर्भ : कंडिका 2.4.10; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-001-01	गोष्ठी एवं सम्मेलन/नई योजना	5.00	5.00	100.00
2		2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नए भवन निर्माण हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100.00
3		2801-80-800-08	परामर्शीय एवं अन्य कार्य (नई तकनीक को शामिल करते हुए) ऊर्जा संरक्षण की दक्षता/परामर्शीय एवं अन्य कार्य	500.00	500.00	100.00
4		2801-80-800-09	परामर्शीय एवं अन्य कार्य (नई तकनीक को शामिल करते हुए) राज्य लोड डिस्पैच के लिए अनुदान	500.00	500.00	100.00
5		6801-00-201-24	प्रदूषण नियंत्रण के उपाय	3985.00	3985.00	100.00
6		6801-00-202-01	कोल ब्लॉक एवं ऊर्जा प्लांट की नई योजना	2000.00	2000.00	100.00
7	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	3604-00-200-03	उत्पाद दुकानों की बंदी के लिए मुआवजा	5.00	5.00	100.00
8	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-105-04	सरकारी वन	250.02	250.02	100.00
9		2406-01-110-41	जलीय परिस्थितिकी तंत्र (एन.पी.सी.ए.) के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना	10.00	10.00	100.00
10		2406-01-789-37	वन प्रबंधन का इंटेसिफिकेशन (केंद्रीय अंश-75 राज्य अंश-25)	50.00	43.84	87.69
11		2406-01-789-37	वन प्रबंधन का इंटेसिफिकेशन (केंद्रीय अंश-75 राज्य अंश-25)	150.00	104.92	69.95
12		2406-01-789-43	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (ग्रीन इण्डिया के लिए राष्ट्रीय विजन)	521.19	261.19	50.11
13		2406-01-796-39	स्थायी नर्सरी एवं बीज बगीचा	16.00	16.00	100.00
14		2406-02-110-08	अनावर्ती व्यय- पलामू टाइगर प्रोजेक्ट	300.00	276.09	92.03
15		2406-02-110-25	अभ्यारण लूटमार विरोधी उपाय	35.00	21.00	60.00
16		2406-02-110-39	जलीय परिस्थितिकी तंत्र (एन.पी.सी.ए.) के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना	23.33	23.33	100.00
17		4406-04-190-02	राज्य जैव विविधता परिषद को सहायता अनुदान	200.00	200.00	100.00
18	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-60-106-02	जिला मोबाईल ईकाई	1330.58	754.32	56.69
19		2220-60-106-03	क्षेत्रीय प्रचार योजना - सूचना भवन का निर्माण, माइक, कम्प्यूटर, झण्डा, होर्डिंग पम्पलेट, पोस्टर्स इत्यादि	5.00	5.00	100.00
20		2220-60-106-21	क्षेत्रीय प्रचार योजना (फिल्म निर्माण)	525.00	301.80	57.49
21	32-विधान मंडल	2011-02-101-04	संचेतक का कार्यालय	111.30	56.00	50.32
22		2011-02-101-11	सदस्य श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार तथा समारोह (अन्य व्यय, प्रभारी भत्ता, अतिथि भत्ता, चिकिस्ता भत्ता को जोड़कर)	22.00	21.64	98.37
23	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2070-00-796-01	उप दण्डाधिकारी का प्रशिक्षण	100.00	100.00	100.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
24	35-योजना एवं विकास विभाग	2053-00-796-06	झारखण्ड राज्य योजना परिषद	500.69	434.00	86.68	
25		2053-00-796-17	निविदा (टेंडर) भत्ता तथा परामर्श (सिविल निबंधन व्यवस्था के व्यय की मजबूती)	57.18	47.87	83.72	
26		2053-00-796-26	राज्य नवीनता परिषद निधि	500.00	354.03	70.81	
27		2053-00-796-33	डी.एच.डी.आर. एस.एच.डी.आर. का निर्माण एवं प्रकाशन तथा सांख्यिकी तथा विकास को जारी अन्य प्रतिवेदन	200.00	200.00	100.00	
28		2053-00-796-34	क्षमता निर्माण/सेमिनार, विचार-गोष्ठी/विकेंद्रित योजना/नवीन पी.पी.पी. कार्यशाला आदि ।	350.00	210.00	60.00	
29		3454-02-204-09	वर्षा मापक यंत्र (लगाना) खरीद तथा स्थापना	3.00	3.00	100.00	
30		3454-02-204-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	769.00	769.00	100.00	
31		3454-02-204-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	8.09	8.09	100.00	
32		3454-02-205-02	13 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सांख्यिकी योजना हेतु अनुदान	480.00	480.00	100.00	
33		3454-02-796-01	राज्य फसल सांख्यिकी सुधार हेतु योजना	42.00	31.01	73.83	
34		3454-02-796-09	वर्षा मापक यंत्र (लगाना) खरीद तथा स्थापना	3.00	2.62	87.30	
35		3454-02-796-12	सांख्यिकी व्यवस्था को मजबूत करना/सबल करना	31.87	18.76	58.85	
36		3454-02-796-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	1286.21	1286.21	100.00	
37		3454-02-796-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	252.89	252.89	100.00	
38		36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-05	आदित्यपुर जलापूर्ति योजना/शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन	63.83	36.33	56.92
39		40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-04	राजस्व प्रशासन का सफ्टवेयर एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	873.00	873.00	100.00
40			2029-00-102-04	राजस्व प्रशासन का सफ्टवेयर एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	873.00	693.00	79.38
41	2029-00-102-05		आदिवासियों को जमीन की वापसी/अधिग्रहण	25.00	19.65	78.60	
42	2029-00-103-01		भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	580.25	567.83	97.86	
43	2029-00-796-01		भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	868.00	855.58	98.57	
44	2029-00-796-04		राजस्व प्रशासन का सफ्टवेयर एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	1310.00	1310.00	100.00	
45	2029-00-796-04		राजस्व प्रशासन का सफ्टवेयर एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	1310.00	1040.00	79.39	
46	2029-00-796-05		आदिवासियों को जमीन की वापसी/अधिग्रहण	80.00	58.70	73.38	
47	2029-00-796-14		भू-संबंधी नक्सा एवं अन्य अभिलेखों का मूद्रण	581.00	559.48	96.30	

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
48	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2070-00-115-03	परिसदन	407.21	209.57	51.47
49		3454-01-796-01	कृषि लेखा	296.75	181.56	61.18
50		3475-00-201-01	अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं भूमि का अधिकरण	37.59	22.10	58.78
51		4047-00-800-04	सैरात के अंतर्गत हाट बाजार का विकास	40.00	40.00	100.00
52	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-003-84	कौशल विकास	7.40	7.40	100.00
53		2203-00-004-01	अनुदान, शोध तथा खोज	4.10	4.10	100.00
54		2203-00-004-42	संयुक्त क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायता अनुदान	148.00	148.00	100.00
55		2203-00-796-42	संयुक्त क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायता अनुदान	52.00	52.00	100.00
56		2203-00-796-46	राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद	5.20	5.20	100.00
57		2203-00-796-62	जनजातीय क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा हेतु उप योजना तथा निदेशालय एवं प्रशासन	92.30	77.58	84.05
58		2203-00-796-70	संस्थान नेटवर्किंग एवं सहयोग	13.00	13.00	100.00
59		2203-00-796-71	स्मार्ट क्लास रूम	7.80	7.80	100.00
60		2203-00-796-84	कौशल विकास	2.60	2.60	100.00
61		2203-00-800-46	राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद	14.80	14.80	100.00
62		2203-00-800-68	प्रशिक्षण एवं विकास	3.70	3.70	100.00
63		2203-00-800-70	संस्थान नेटवर्किंग एवं सहयोग	37.00	37.00	100.00
64		2203-00-800-71	स्मार्ट क्लास रूम	22.20	22.20	100.00
65		4202-02-105-04	तकनीकी विश्वविद्यालय	192.40	192.40	100.00
66		4202-02-105-06	तकनीकी शिक्षा संस्थानों का निर्माण, अभियंत्रण महाविद्यालय/पालिटेक्निक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं पुनरूद्धार	5000.00	3354.45	67.09
67	4202-02-796-04	तकनीकी विश्वविद्यालय	67.60	67.60	100.00	
68	49-जल संसाधन विभाग	2711-01-001-01	गंगा नदी के दाहिने छोर पर बाढ़ के दौरान मरम्मती कार्य	100.00	100.00	100.00
69		4700-80-789-12	जल संसाधन (केंद्रांश) के लिए ए.आई.बी.पी. तथा अन्य कार्यक्रम	40540.00	40540.00	100.00
70		4700-80-796-09	स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी.	23200.00	18200.00	78.45
71		4700-80-796-12	जल संसाधन (केंद्रांश) के लिए ए.आई.बी.पी. तथा अन्य कार्यक्रम	71300.00	37501.00	52.60
72	4701-80-796-69	प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सेमिनार	50.00	30.18	60.36	
73	50-लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-05	13 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार लघु सिंचाई योजना का पोषण	233.00	233.00	100.00
74		4702-00-101-24	नई योजना के तहत भूमिगत जल सर्वेक्षण/कृत्रिम रिचार्ज तथा जल संरक्षण	15.00	13.83	92.20
75		4702-00-101-31	खोज का सर्वेक्षण, वाणिज्य दूत	70.00	70.00	100.00
76		4702-00-101-34	जे.एच.ए.एल.सी.ओ. तथा झारखण्ड राज्य जल सोसाइटी के वेतन हेतु अनुदान	740.00	471.69	63.74
77		4702-00-796-03	लघु सिंचाई सांख्यिकी विवेकीकरण	500.00	388.98	77.80

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
78	50-लघु सिंचाई विभाग	4702-00-796-24	नई योजना के तहत भूमिगत जल सर्वेक्षण/कृत्रिम रिचार्ज तथा जल संरक्षण	35.00	31.47	89.91
79		4702-00-796-31	खोज का सर्वेक्षण, परामर्श तथा मूल्यांकन	30.00	30.00	100.00
80		4702-00-796-34	जे.एच.ए.एल.सी.ओ. तथा झारखण्ड राज्य जल सोसाईटी के वेतन हेतु अनुदान	740.00	471.70	63.74
81	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	2205-00-106-29	13वें वित्त आयोग के संबंध में	1610.00	810.00	50.31
82		2205-00-796-29	13वें वित्त आयोग के संबंध में	3400.00	2000.00	58.82
कुल				171207.08	125406.12	

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5 पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2015 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2015	मार्च 2015
1	परिवहन विभाग	3075	466.18	466.18	466.18	100.00	100.00
2	कल्याण विभाग	4235	160.02	154.21	160.02	100.00	96.37
3	ऊर्जा विभाग	2810	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
4	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	4402	34.87	34.54	34.87	100.00	99.07
5	नागर विमानन विभाग	5053	21.73	21.73	21.73	100.00	100.00
6	मानव संसाधन विभाग	2205	28.02	27.13	29.94	93.59	90.61
7	कल्याण विभाग	4225	156.13	49.75	172.72	90.39	28.81
8	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401	258.53	173.60	306.43	84.37	56.65
9	जल संसाधन विभाग	4711	24.43	21.23	29.23	83.56	72.62
10	गृह विभाग	4055	128.26	121.48	153.80	83.39	78.98
11	कल्याण विभाग	4250	35.58	35.58	43.47	81.85	81.85
12	उद्योग विभाग	2852	57.91	57.09	72.46	79.92	78.78
13	शहरी विकास विभाग	2217	690.32	618.73	896.58	76.99	69.01
14	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2211	60.37	57.38	80.80	74.71	71.01
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203	117.76	95.83	166.77	70.61	57.46
16	कल्याण विभाग	2225	597.01	367.25	859.77	69.44	42.71
17	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	180.41	123.77	260.97	69.13	47.43
18	जल संसाधन विभाग	4701	122.64	93.12	191.90	63.91	48.53
19	वन एवं पर्यावरण विभाग	2406	232.65	160.15	369.93	62.89	43.29
20	ऊर्जा विभाग	2801	1427.28	782.43	2293.92	62.22	34.11
21	योजना एवं विकास विभाग	2053	209.49	188.79	336.70	62.22	56.07
22	ऊर्जा विभाग	6801	457.91	365.58	779.04	58.78	46.93
23	सहकारिता विभाग	2425	55.25	47.88	94.02	58.76	50.92
24	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456	489.13	396.72	839.39	58.27	47.26
25	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	2236	242.01	141.40	428.60	56.47	32.99
26	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215	463.51	428.03	822.51	56.35	52.04
27	लघु सिंचाई विभाग	4702	75.94	51.66	140.62	54.00	36.74
28	ग्रामीण कार्य विभाग	2501	55.37	51.85	103.93	53.28	49.89
29	डेयरी	2404	39.64	36.92	74.80	52.99	49.36
30	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	47.62	36.30	91.25	52.18	39.78
31	भवन निर्माण विभाग	4059	82.34	60.55	159.20	51.72	38.03
32	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215	69.94	45.68	139.27	50.22	32.80
कुल			7138.25	5362.54	10670.82	66.90	50.25

परिशिष्ट 2.10
नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2014-15 के दौरान असंशोधित रह गई
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)
(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	259.91
2	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनन विभाग	188.06
3	सचिव, प्रशासन, वित्त विभाग, राँची	10.50
4	अवर सचिव, भवन निर्माण एवं आवास (पी.डब्ल्यू.डी. प्रमंडल) विभाग, राँची	89.52
5	मुख्य अभियंता, आवास विभाग, राँची	48.79
6	आयुक्त-सह-सचिव, राजस्व विभाग, झारखण्ड, राँची	159.06
7	पंजीयक, सहकारी विभाग, राँची	53.43
8	महानिदेशक (कारा), गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	112.35
9	निदेशक, खनन एवं भूगर्भ विभाग, राँची	41.07
10	मुख्य अभियंता सड़क निर्माण (पी.डब्ल्यू.डी.) विभाग	32.82
11	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड	90.10
12	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग, झारखण्ड, राँची	124.26
13	सचिव, खाद्य एवं पोषण विभाग, झारखण्ड	291.87
14	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, राँची	218.46
15	उप सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, राँची	116.59
16	उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राँची	82.93
17	उप सचिव, प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग, राँची	5525.19
18	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	22.61
19	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, (एच.आर.डी.), राँची	29.94
20	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	1267.60
	निदेशक, देशी चिकित्सा निदेशालय, झारखण्ड	260.97
21	सचिव कल्याण विभाग, राँची	1522.80
22	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, राँची	774.97
23	महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राँची	18.95
24	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, राँची	291.87
25	सचिव, शहरी विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	896.58
26	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	172.71
27	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	140.62
28	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	237.88
29	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	86.81
30	निदेशक, मत्स्य विभाग, राँची	10.24
31	सचिव-सह-आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, राँची	37.54
32	सचिव, मंडल राजस्व विभाग, राँची	323.53
33	सचिव, पी.एच.ई.डी.विभाग, राँची	776.10
34	पंजीयक, उद्योग विभाग, राँची	23.25
35	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राँची	17.90
36	सचिव, परिवहन एवं नागर विमानन-सह-राज्य आयुक्त	466.18
37	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची	44.46
38	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राँची	366.38
39	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	3292.13
40	श्रम आयुक्त, राँची	83.82
41	निदेशक, योजना एवं मूल्यांकन, राँची	29.16
42	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन-iv ग्रामीण पुलिस, झारखण्ड	2599.65
43	वित्त आयोग, झारखण्ड	3462.52
	कुल	24702.08

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड

परिशिष्ट 2.11

बजटीय प्रावधान से आधिक्य व्यय

(संदर्भ: कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना	अंतिम आबंटन	व्यय	आधिक्य	प्रतिशत
1	2215-01-101-01	गैर-योजना	5.10	5.12	0.02	0.4
2	2215-01-101-02	गैर-योजना	5.83	5.98	0.15	2.6
3	2215-01-101-04	गैर-योजना	21.90	27.07	5.17	23.6
	कुल		32.83	38.17	5.34	

स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15

परिशिष्ट 2.12

अंतिम दिन अभ्यर्पण (राज्य स्तर)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 66)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	अभ्यर्पण पत्र सं. एवं तिथि	राशि (₹ में)
1	2215-01-102-02	433/31.03.2015	23211882
2	2215-01-101-09	432/31.03.2015	85358172
3	2215-01-101-04	431/31.03.2015	48753372
4	2215-01-101-02	430/31.03.2015	10386806
5	2215-01-101-07	429/31.03.2015	4192643
6	2215-01-101-07	441/31.03.2015	12135218
7	2215-01-102-09	440/31.03.2015	312763
8	2215-01-101-08	439/31.03.2015	7493232
9	2215-01-101-05	437/31.03.2015	3633000
10	2215-02-105-04	436/31.03.2015	16391
11	2215-02-105-01	435/31.03.2015	659486
12	2215-01-102-03	434/31.03.2015	61756475
	कुल		257909440

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड

परिशिष्ट 2.13
वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण
(संदर्भ : कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

नमूना जाँचित प्रमण्डल	2014-15 में आवंटन				2014-15 के दौरान व्यय				2014-15 के दौरान अभ्यर्पण				पहले किये गए अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि	अंतिम दिन अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
	राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	गैर योजना (स्थापना)	कुल	राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	गैर योजना (स्थापना)	कुल	राज्य योजना	गैरयोजना (कार्य)	गैर योजना (स्थापना)	कुल				
हजारीबाग	821.78	119.95	412.97	1354.7	411.49	114.32	412.96	938.77	410.29	5.63	0.01	415.93	358.89	20-02-2015/ 27-03-2015	57.04	30-03-2015
साहिबगंज	219.62	37.29	317.24	574.15	218.66	37.29	316.82	572.77	0.96	0	0.42	1.38	0		1.38	30-03-2015
मधुपुर	874.2	13.95	146.29	1034.44	872.21	13.58	141.87	1027.66	1.99	0.37	4.42	6.78	3	23-02-2015	3.78	31-03-2015
राँची पश्चिम	1224.44	26.81	380.33	1631.58	1102.2	20.19	377.54	1499.93	122.24	6.62	2.79	131.65	8.1	21-02-2015/ 18-03-2015/ 24-03-2015	123.55	30-03-2015
गिरिडीह-2	992.02	29.78	122.57	1144.37	894.2	28.49	116.82	1039.51	97.82	1.29	5.75	104.86	5.36	02-03-2015	99.5	31-03-2015
जमशेदपुर	194.71	97.64	321.45	613.8	144.98	97.48	311.1	553.56	49.73	0.16	10.35	60.24	13.5	20-02-2015	46.74	31-03-2015
गुमला	171.19	92.24	278.31	541.74	91.68	76.39	269.72	437.79	79.51	15.85	8.59	103.95	50	20-02-2015	53.95	30-03-2015
मेदनीनगर	102.74	82.1	316.92	501.76	84.07	82.1	313.17	479.34	18.67	0	3.75	22.42	0		22.42	29-03-2015
सरायकेला	947.6	42.73	242.61	1232.94	868.66	41.2	242.52	1152.38	78.94	1.53	0.09	80.56	0		80.56	30-03-2015
कुल योग	5548.3	542.49	2538.69	8629.48	4688.15	511.04	2502.52	7701.71	860.15	31.45	36.17	927.77	438.85		488.92	

स्रोत : नमूना जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

परिशिष्ट 2.14

शत-प्रतिशत बचत

(संदर्भ: कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना/गैर योजना	आवंटन	व्यय	बचत
1	2215-02-105-04	गैर योजना	74.84	0.00	74.84
2	2215-01-102-03	राज्य योजना	15.00	0.00	15.00
3	4215-01-796-07	राज्य योजना	65.00	0.00	65.00
कुल			154.84		154.84
स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15					

परिशिष्ट 2.15

व्यय का वेग (राज्य स्तर)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.9 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	शीर्ष			कुल आवंटन	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
		यो./ गै.यो.	रा.यो./ के.प्रा.यो./ के.यो.यो.	दत्तमत/ भारित				
1.	2215-01-101-08	गै.यो.		दत्तमत	107.34	106.98	54.51	50.95
2.	2215-01-102-10	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	14833.40	9823.55	5247.17	53.41
3.	2215-01-102-10	यो.	रा.यो.	दत्तमत	14833.40	13038.57	7035.14	53.96
4.	2215-01-106-11	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	3925.00	874.01	874.01	100.00
5.	2215-01-106-11	यो.	रा.यो.	दत्तमत	650.00	650.00	325.00	50.00
6.	2215-01-789-10	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	3467.79	2742.07	2007.07	73.20
7.	2215-01-789-10	यो.	रा.यो.	दत्तमत	3467.79	3205.81	2789.50	87.01
8.	2215-01-789-11	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	750.00	268.60	268.60	100.00
9.	2215-01-789-11	यो.	रा.यो.	दत्तमत	125.00	125.00	62.50	50.00
10.	2215-01-796-10	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	16710.00	9549.60	8788.95	92.03
11.	2215-01-796-10	यो.	रा.यो.	दत्तमत	16710.00	2926.29	2252.34	76.97
12.	2215-01-796-11	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	2325.00	1162.61	1162.61	100.00
13.	2215-01-796-11	यो.	रा.यो.	दत्तमत	385.00	385.00	192.50	50.00

स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15

परिशिष्ट 2.16

व्यय का वेग (नमूना-जाँचित प्रमण्डल/जिलों)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.9 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. स.	नमूना जाँचित प्रमण्डल	2014-15 के दौरान कुल व्यय				मार्च 2015 के दौरान व्यय			
		राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	के.प्रा.यो. (रा.ग्रा.पे.ज.का.)	उप-योग	राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	के.प्रा.यो. (रा.ग्रा.पे.ज.का.)	उप-योग
1	हजारीबाग	409.00	114.32	2103.88	2627.20	199.87	18.53	871.59	1089.99
2	साहिबगंज	218.67	37.29	2607.19	2863.15	75.82	5.32	547.14	628.28
3	मधुपुर	883.50	13.58	1206.29	2103.37	443.04	0.52	707.70	1151.26
4	राँची पश्चिम	1102.20	20.20	1783.89	2906.29	322.73	9.27	452.07	784.07
5	गिरिडीह-2	894.20	28.49	2172.28	3094.97	159.32	8.94	824.82	993.08
6	जमशेदपुर	148.53	97.48	955.77	1201.78	80.88	6.05	422.80	509.73
7	गुमला	91.68	76.43	1718.50	1886.61	31.03	22.63	816.81	870.47
8	भेदनीनगर	84.09	82.10	2353.78	2519.97	21.80	11.34	1168.08	1201.22
9	सरायकेला	868.66	41.20	2077.96	2987.82	191.87	8.04	1202.80	1402.71
सकल योग		4700.53	511.09	16979.54	22191.16	1526.36	90.64	7013.81	8630.81

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

परिशिष्ट 2.17
सामग्री के रूप में निधि का अवरुद्धिकरण
(संदर्भ: कंडिका 2.7.10 पृष्ठ 67)

क्र. सं.	नमूना-जाँचित प्रमण्डल	योजना का नाम	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	निधियों का आवंटन (₹ करोड़ में)	अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ में)	एकरारनामा के अनुसार पाईपों की आवश्यकता	पाईप के प्रकार (डी.आई.)	पाईपों की खरीद	पाईपों का बिछाव	नहीं बिछाये गये पाईप	पाईप की दर (₹)	पाईप की खरीद के लिए भुगतान (₹ लाख में)	नहीं बिछाये गये पाईप पर भुगतान (₹ लाख में)	अन्य घटकों की भौतिक प्रगति
1	हजारीबाग	राज्य योजना के तहत बलसगरा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	8.21	22.01.2017	1.50	1.17	4650	K-9 (100 मि.मी. ब्यास)	1760	0	1760	2100	31.42	31.42	इंटेकवेल सह पम्प हाउस, जल उपचार संयंत्र, उच्च सेवा जलाशय, स्टाफ क्वार्टर, पम्प हाउस आदि - शून्य
2	मधुपुर	बभनगाँवा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	5.93	22.09.2016	2.90	2.90	2180	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	2145	1802	343	1600	29.17	4.66	उच्च सेवा जलाशय - 27 %, जल उपचार संयंत्र - 0%, इंटेकवेल सह पम्प हाउस - 10%, स्टाफ क्वार्टर - 80%
							14477	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	11165	4262.5	6902.5	1030	97.75	60.43	
							3267	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	3267	0	3267	1400	38.88	38.88	
							1310	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	1309	1130	179	1800	20.03	2.74	
3	राँची पश्चिम	सोसई ग्राम समूह ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	16.35	06.03.2016	10.82	10.82	115	K-9 (100 मि.मी. ब्यास)	115	0	115	1200	1.17	1.17	इंटेकवेल सह पम्प हाउस - नक्शा एवं डिजाइन सी.डी.ओ. को समर्पित , जल उपचार संयंत्र - आर.सी.सी. एवं ईट का कार्य पूर्ण , उच्च सेवा जलाशय - 1.25लाख ली. पूर्ण तथा 3.25 लाख ली.- प्रगति में , स्टाफ क्वार्टर - पूर्ण, जमीनी सेवा जलाशय- प्रगति में
							6680	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	6880.5	0	6880.5	1860	108.78	108.78	
							1660	K-9 (200 मि.मी. ब्यास)	1647.5	0	1647.5	2380	33.33	33.33	
							2900	K-9 (250 मि.मी. ब्यास)	3783	0	3783	3195	102.74	102.74	
							43823	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	43905.5	4233.05	39672.45	1085	404.92	365.88	
							5923	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	9765	534.5	9230.5	1580	131.14	123.97	
							5257	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	5720	225.5	5494.5	2050	99.67	95.74	
82	K-7 (250 मि.मी. ब्यास)	136	0	136	2400	2.77	2.77								

क्र. सं.	नमूना-जांचित प्रमण्डल	योजना का नाम	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	निधियों का आवंटन (₹ करोड़ में)	अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ में)	एकरारनामा के अनुसार पाईपों की जरूरत	पाईप के प्रकार (डी.आई.)	पाईपों की खरीद	पाईपों का बिछाव	नहीं बिछाये गये पाईप	पाईप की दर (₹)	पाईप की खरीद के लिए भुगतान (₹ लाख में)	नहीं बिछाये गये पाईप पर भुगतान (₹ लाख में)	अन्य घटकों की भौतिक प्रगति
4	गिरीडीह -2	कमलजोर एवं परातडीह ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	6.11	04.05.2016	4.00	3.91	1050	K-9 (200मि.मी. ब्यास)	1050	650	400	2250	20.08	9.00	जल उपचार संयंत्र - 50%, उच्च सेवा जलाशय - 70%, पम्प हाउस - 0%, पम्पीगं मशीनरी तथा बिजली के उपकरण की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन - 0%
							9980	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	9980	500	9480	1100	93.31	88.64	
							4150	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	4150	300	3850	1670	58.91	54.65	
							1100	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	1100	0	1100	2050	19.17	19.17	
							50	K-7 (300 मि.मी. ब्यास)	49.5	0	49.5	3210	1.35	1.35	
5	गिरीडीह -2	सैंट्रल पीट-पतरोडीह ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	5.79	04.05.2016	3.55	3.43	3000	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	1830	1436	394	2100	32.67	7.03	जल उपचार संयंत्र - 85%, उच्च सेवा जलाशय - 45%, पम्प हाउस - 90%, पम्पीगं मशीनरी तथा बिजली के उपकरण की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन - 0%
							9590	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	6997	3386	3611	1136	67.56	34.87	
							3755	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	2173	300	1873	1560	28.81	24.84	
							165	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	630	0	630	1900	10.17	10.17	
							85	K-7 (250 मि.मी. ब्यास)	600	145	455	2100	10.71	8.12	
6	सरायकेला	दुगनी एवं जामबहाल ग्राम समूह जल आपूर्ति योजना	3.48	14.10.2016	1.00	0.80	800	K-9 (100 मि.मी. ब्यास)	797.5	0	797.50	1149.20	7.79	7.79	इंटेकवेल - 10%, जल उपचार संयंत्र - 40%, उच्च सेवा जलाशय - 70%, गैंगवे, पम्पीगं मशीनरी तथा बिजली के उपकरण की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन - शून्य
							5967	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	4840	0	4840	1009.11	41.51	41.51	
							769	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	764.5	0	764.5	1491.87	9.69	9.69	
7	सरायकेला	यशपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	7.46	28.01.2017	2.20	1.60	5010	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	4509	1320	3189	2300	72.59	51.34	इंटेकवेल, गैंगवे, जल उपचार संयंत्र, उच्च सेवा जलाशय - शून्य, स्टाफ क्वार्टर - 5%
							15825	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	6396	2152	4244	1670	74.77	49.61	
							4195	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	1699.5	248	1451.5	1900	22.60	19.30	
							1718	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	1718	1320	398	2300	27.66	6.41	
							50	K-7 (250 मि.मी. ब्यास)	49.5	0	49.5	2700	0.94	0.94	
कुल			53.33		25.97	24.63						1702.06	1416.94		

परिशिष्ट 2.18

विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

(संदर्भ: कंडिका 2.7.11 पृष्ठ 68)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की पुस्तिका के अनुसार व्यय	समाशोधित व्यय	असमाशोधित व्यय
2215	619.86	60.21	559.65
4215	139.22	106.98	32.24
कुल	759.08	167.19	591.89
स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय			

परिशिष्ट 2.19

आई.एम.आई.एस. तथा मासिक लेखे के आँकड़ों में विसंगति

(संदर्भ: कंडिका 2.7.12 पृष्ठ 68)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नमूना जाँचित प्रमण्डल	मासिक लेखे के अनुसार व्यय (एन.आर.डी.डब्लू पी.)			आई.एम.आई.एस. के प्रतिवेदन के अनुसार व्यय (एन.आर.डी.डब्लू पी.)			आँकड़ों में विसंगति		
		केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
1	हजारीबाग	873.02	1230.86	2103.88	1041.46	1602.46	2643.92	168.44	371.60	540.04
2	जमशेदपुर	281.57	674.20	955.77	467.47	706.92	1174.39	185.90	32.72	218.62
3	मधुपुर	500.96	705.32	1206.28	501.47	1552.73	2054.20	0.51	847.41	847.92
4	राँची पश्चिम	1049.49	733.64	1783.13	1492.31	1837.35	3329.66	442.82	1103.71	1546.53
5	गुमला	987.54	730.97	1718.51	1159.00	743.62	1902.62	171.46	12.65	184.11
6	सरायकेला	657.57	1420.39	2077.96	879.99	2277.60	3157.59	222.42	857.21	1079.63
7	गिरिडीह -2	1008.02	1164.26	2172.28	1071.48	1977.03	3048.51	63.46	812.77	876.23
8	साहेबगंज	597.39	2009.78	2607.17	645.74	2189.78	2835.52	48.35	180.00	228.35
9	भेदनीनगर	746.11	1610.67	2356.78	1061.39	1644.80	2706.19	315.28	34.13	349.41
	कुल	6701.67	10280.09	16981.76	8320.31	14532.29	22852.60	1618.64	4252.20	5870.84

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

परिशिष्ट 2.20 (अ)
बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की भौतिक प्रगति
(संदर्भ: कंडिका 2.7.13 पृष्ठ 69)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य		जमशेदपुर/ पूर्वी सिंहभूम		गिरीडीह-2/ गिरीडीह		गुमला		हजारीबाग		मधुपुर/देवघर		मेदनीनगर/ पलामू		राँची पश्चिम/राँची		साहिबगंज		सरायकेला		कुल (नमूना- जाँचित प्रमण्डल/जिले)		प्रतिशत उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
		1	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में ड्रिल्ड नलकूपों का निर्माण (2014-15)	@	@	55	47	176	171	221	192	48	44	17	16	258	258	37	37	51	24	52	32	
2	डी.टी. एवं जी.पी.टी. का पुर्नस्थापन (2014- 15)	19983	@	791	523	640	621	918	909	800	730	453	441	1147	1147	1000	1000	671	561	555	547	6975	6474	93
3	ड्रिल्ड नलकूपों का आई.एम. III से आई.एम. II में परिवर्तन (2014-15)	10418	@	176	97	35	15	489	489	562	10	437	437	739	739	594	564	539	304	575	575	4146	3230	78
4	सडे राईजर पाईपों को बदलना (2014-15)	34782	@	1280	902	742	658	1148	1137	1630	295	1142	1137	2886	2886	1307	1185	1090	871	1063	987	12288	10058	82
5	व्यक्तिगत घर शौचालय (आई.एच.एच.एल.)	253575	98519	1000 0	1904	7440	6913	5970	6135	9591	3164	14000	7420	19700	2342	5545	3971	3320	3407	17835	3714	93401	38970	42

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी
@ विभाग द्वारा सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

परिशिष्ट 2.20 (ब)
बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की वित्तीय प्रगति
(संदर्भ: कंडिका 2.7.13 पृष्ठ 69)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	राज्य		जमशेदपुर		गिरीडीह-2		गुमला		हजारीबाग		मधुपुर		मेदनीनगर		राँची पश्चिम		साहेबगंज		सरायकेला		कुल (नमूना जाँचित प्रमण्डल)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ड्रिड नलकूपों का निर्माण (2014-15)	@	@	18.79	18.79	120.28	83.56	275.52	275.52	39.3	26.74	11.62	10.4	177.44	165.59	25.29	25.14	17.43	14.91	17.77	11.5	703.44	632.15
2	डी.टी. एवं जी.पी.टी. का पुर्नस्थापन (2014-15)	15481	@	248.6	248.6	360.18	309.41	632.17	546.98	423.95	366.4	166.23	166.23	546.94	546.94	729	654.61	212.52	212.19	281.62	274.21	3601.21	3325.57
3	ड्रिड नलकूपों का आई.एम. III से आई.एम. II में परिवर्तन (2014-15)	1279	@	21.61	11.61	4.3	4.2	60.04	51.44	69.01	5.09	53.66	47.83	90.74	79.7	72.94	58.04	66.18	43.78	70.36	65.66	508.84	367.35
4	सडे राईजर पाईपों को बदलना (2014-15)	3546	@	146	75.6	75.65	59.3	117.04	111.3	166.18	34.85	122.65	102.3	294.23	261.21	133.25	109.52	111.13	46.61	108.37	84.04	1274.5	884.73
सकल योग																						6088.00	5209.80
		केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य
5	व्यक्तिगत घर शौचालय (आई. एच.एच.एल.)	7547.7	2662.7	113.61	41.54	573.56	194.39	479.09	163.14	200.3	75.81	441.15	172.72	266.70	65.59	316.88	106.03	381.33	126.69	253.28	86.17	3025.90	1032.08

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

@ विभाग द्वारा सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं कराई

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2015 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1 पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2013-14 तक (2012-13 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2014-15 के दौरान (2013-14 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	37	44.41	शून्य	शून्य	37	44.41
शिक्षा	37	113.39	17	442.77	54	556.16
सहकारिता	117	140.08	शून्य	शून्य	117	140.08
पशुपालन	36	20.29	शून्य	शून्य	36	20.29
चिकित्सा	शून्य	शून्य	2	35.00	2	35.00
कल्याण	326	210.75	150	167.51	476	378.26
कृषि	26	47.78	9	30.63	35	78.41
भूमि सुधार	1	0.21	शून्य	शून्य	1	0.21
शहरी विकास	2923	1071.35	958	469.21	3881	1540.56
अन्य	630	1375.24	572	993.10	1202	2368.34
कुल	4133	3023.50	1708	2138.22	5841	5161.72

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्षेत्र इकाई)

(संदर्भ : कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 63)

(₹ लाख में)

नमूना जाँचित प्रमंडल	अनुमोदित अग्रिम					प्रमंडलों में प्राप्त उपयोगिता			प्रमंडलों में अप्राप्त उपयोगिता		
	अग्रिम की अवधि	रा.ग्रा.पे.ज.का.	अग्रिम की अवधि	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल	रा.ग्रा.पे.ज.का.	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल	रा.ग्रा.पे.ज.का.	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल
हजारीबाग	2010-11 से 2013-14	172.75	2011-12 से 2014-15	468.8	641.55	0	0	0	172.75	468.8	641.55
साहिबगंज	2012-13 से 2014-15	70.95	2012-13 से 2014-15	886.05	957	24.68	0	24.68	46.27	886.05	932.32
मधुपुर	2012-13 से 2014-15	42.33	2012-13 से 2014-15	227.41	269.74	13.85	0	13.85	28.48	227.41	255.89
राँची पश्चिम	2013-14 से 2014-15	60.8	2012-13 से 2014-15	674.78	735.58	44.39	251.64	296.03	16.41	423.14	439.55
गिरिडीह-2	2012-13 से 2014-15	113.28	2011-12 से 2014-15	968.41	1081.69	9.05	0	9.05	104.23	968.41	1072.64
जमशेदपुर	2013-14 से 2014-15	244.49	2012-13 से 2014-15	231.97	476.46	76.2	0	76.2	168.29	231.97	400.26
गुमला	2011-12 से 2013-14	154.35	2012-13 से 2014-15	628.05	782.4	78.7	310.7	389.4	75.65	317.35	393
मेदिनीनगर	2011-12 से 2014-15	132.16	2013-14 से 2014-15	586.36	718.52	39.75	0	39.75	92.41	586.36	678.77
सरायकेला	2010-11 से 2014-15	93.94	2011-12 से 2014-15* अग्रिम के रूप में बुक किया गया	358.53	452.47	29.63	228.32	257.95	64.31	130.21	194.52
कुल		1085.05		5030.36	6115.41	316.25	790.66	1106.91	768.8	4239.70	5008.50

*अग्रिम को व्यय के रूप में अंकित किया जाना : रा.ग्रा.पे.ज.का. - ₹ 7.69 करोड़ एवं नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.- ₹ 40.50 (₹ 41.80 - ₹ 1.30) करोड़ = ₹ 48.19 करोड़

परिशिष्ट 3.3

अनुदानों के विमुक्ति में विलम्ब

(संदर्भ: कंडिका 3.1.4; पृष्ठ 74)

क्र. सं.	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति आदेश संख्या	स्वीकृति की तिथि	राशि (₹ लाख में)	पे.ज. एवं स्व.वि. द्वारा (केन्द्रांश) विमुक्ति हेतु स्वीकृति आदेश	स्वीकृति की तिथि	राशि (₹ लाख में)	कार्यकारी संस्था को राशि विमुक्ति में विलम्ब	कार्यकारी संस्था को राशि विमुक्ति में विलम्ब की अवधि (माह में)
1	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/25	06-06-2014	1151.08					
2	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/26	06-06-2014	321.31					
3	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/27	06-06-2014	673.95					
उप योग			2146.34	53	09-07-2014	2146.34	11-09-2014	97
4	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/68	11-06-2014	276.13	61	14-07-2014	276.13	05-12-2014	177
5	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/69	11-06-2014	91.55	62	14-07-2014	91.55	05-12-2014	177
6	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/176	29-09-2014	3228.09	120	21-11-2014	3228.09	19-12-2014	81
7	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/177	29-09-2014	901.07	120	21-11-2014	358.66	19-12-2014	81
8	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/178	29-09-2014	1890.02	120	21-11-2014	1890.02	19-12-2014	81
9	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/378	07-01-2015	396.96	153	16-02-2015	396.96	03-03-2015	55
10	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/379	07-01-2015	312.31	154	16-02-2015	312.31	03-03-2015	55
11	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/386	28-01-2015	3407.05	156	16-02-2015	3407.05	03-03-2015	34
12	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/387	28-01-2015	951.03	156	16-02-2015	951.03	03-03-2015	34
13	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/388	28-01-2015	1994.80	156	16-02-2015	1994.80	03-03-2015	34
14	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/195	05-11-2014	274.89					131
15	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/196	05-11-2014	76.73					131
16	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/197	05-11-2014	160.95					131
17	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water(MDI)/ 419	18-02-2015	12.02					41
18	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water(MDI)/ 420	18-02-2015	3.35					41
19	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water(MDI)/ 421	18-02-2015	7.03					41
उप योग			534.97	174	27-03-2015	534.97	31-03-2015	41

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 3.4
अनुदानों का अवरुद्धीकरण
 (संदर्भ: कंडिका 3.1.5; पृष्ठ 74)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	नमूना जाँचित प्रमण्डल	31.03.2015 को अनुदानों का अवरुद्धीकरण		
			रा.ग्रा.पे.ज	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल
1	हजारीबाग	हजारीबाग	775.72	1.03	776.75
2	साहिबगंज	साहिबगंज	160.06	143.45	303.51
3	देवघर	मधुपुर	110.41	0.00	110.41
4	राँची	राँची पश्चिम	307.68	1069.08	1376.76
5	गिरिडीह	गिरिडीह -2	205.16	0.00	205.16
6	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	241.12	215.67	456.79
7	गुमला	गुमला	450.98	612.7	1063.68
8	पलामू	मेदिनीनगर	567.69	63.38	631.07
9	सरायकेला	सरायकेला	246.48	1419.45	1665.93
कुल			3065.30	3524.76	6590.06

परिशिष्ट 3.5

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1 पृष्ठ 75)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति (एन.जी.ओ.सी.), मोराबादी, राँची	राँची	2008-09
2	शिक्षा	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची	राँची	2006-07
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	बोकारो	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	चतरा	शून्य
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	देवघर	2012-13
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	धनबाद	2010-11
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	दुमका	2011-12
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पूर्वी सिंहभूम	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गढ़वा	2011-12
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गिरिडीह	2012-13
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गोड्डा	2010-11
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गुमला	2010-11
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	हजारीबाग	2012-13
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	जामताड़ा	2012-13
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	खूँटी	2011-12
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	कोडरमा	शून्य
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लातेहार	शून्य
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लोहरदगा	2012-13
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पाकुड़	शून्य
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पलामू	2013-14
21	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	रामगढ़	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	राँची	2011-12
23	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकम	राँची	2011-12
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	सरायकेला खरसावाँ	शून्य
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	सिमडेगा	2013-14
26	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	पश्चिम सिंहभूम	शून्य
27	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	साहेबगंज	2013-14
28	स्वास्थ्य	निदेशक, रिनपास कॉके	राँची	2008-09
29	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	शून्य
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2011-12
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2012-13
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2014-15
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2012-13
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2012-13
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2012-13
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2012-13
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2012-13
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2004-05
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2011-12
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	09/2010
53	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
54	उद्योग	भारत-डेनमार्क यंत्र कक्ष, आदित्यपुर, जमशेदपुर	जमशेदपुर	02/2014
55	शिक्षा (विज्ञान एवं प्रावैधिकी)	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	02/2015
56	नागर विमानन	नागर विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2012-13
57	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड पदोन्नति संस्थान (जैप-आई.टी.)	राँची	07/2014
58	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धूर्वा, राँची	राँची	2007-08
59	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	09/2014
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2012-13
62	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	08/2014
63	वन	लाख प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
64	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2007-08
65	जैव प्रौद्योगिकी	वन में लाख की फसल की कृषि, डोरण्डा	राँची	2008-09
66	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2009-10 2. 02/2013 3. 2011-12 4. 2008-09
67	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
68	पशुपालन	क्षेत्रीय मूर्गीपालन, राँची	राँची	2008-09
69	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09
70	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
71	शिक्षा एवं शोध	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.6

बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित शीर्ष 50 नियंत्रक अधिकारी

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1 पृष्ठ 76)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी	योजना/ गैर-योजना	ए.सी. विपत्रों पर आहरित राशि (₹ में)
1	55	3054	PRJORD002	अनुपलब्ध	गैर-योजना	600000000.00
2	55	4515	PRJORD002	अनुपलब्ध	योजना	395200000.00
3	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	318450000.00
4	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	152372000.00
5	52	2205	PRJOTH015	अनुपलब्ध	योजना	140000000.00
6	20	2210	DRNMED033	अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	130408000.00
7	42	4515	RNCAD021	बी.डी.ओ.	योजना	105600000.00
8	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	101092277.00
9	55	4515	PRJORD002	अनुपलब्ध	योजना	100000000.00
10	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	87500000.00
11	42	2515	PRJORD016	अनुपलब्ध	योजना	86400000.00
12	59	2202	PRJEDN028	अनुपलब्ध	योजना	86000000.00
13	52	2205	PRJOTH015	अनुपलब्ध	योजना	80000000.00
14	59	2202	PRJEDN028	अनुपलब्ध	योजना	80000000.00
15	42	4515	GRDDAD027	उप विकास आयुक्त	योजना	79200000.00
16	42	4515	DHNORD001	अनुपलब्ध	योजना	79200000.00
17	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	75800000.00
18	42	2053	RNCOTH010	अनुपलब्ध	योजना	70400000.00
19	43	4202	DRNSCT001	अनुपलब्ध	योजना	68300000.00
20	30	4225	PRJWSB001	अनुपलब्ध	योजना	66162186.00
21	42	4515	SGHDAD021	डी.डी.सी., चाईबासा	योजना	66000000.00
22	42	4515	JSRDAD014	उप विकास आयुक्त	योजना	66000000.00
23	27	2014	PRJADJ001	अनुपलब्ध	गैर-योजना	59700000.00
24	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	59143000.00
25	27	2014	PRJADJ001	अनुपलब्ध	गैर-योजना	54642400.00
26	42	4515	PLMDAD012	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
27	42	4515	HZBORD034	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
28	42	2053	GRDDAD026	उपायुक्त	योजना	52800000.00
29	42	4515	DMKDAD107	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
30	42	2053	DHNORD001	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
31	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	51792000.00
32	8	5053	RNCOTH010	अनुपलब्ध	योजना	50000000.00
33	20	2210	RNCMED013	प्रिंसिपल, आर.एम.सी.एच.	योजना	50000000.00

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी	योजना/ गैर-योजना	ए.सी. विपत्रों पर आहरित राशि (₹ में)
34	41	5054	PRJRN001	अनुपलब्ध	योजना	50000000.00
35	8	5053	PRJOTH008	अनुपलब्ध	योजना	50000000.00
36	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	48485000.00
37	42	2501	PRJORD016	अनुपलब्ध	योजना	48100000.00
38	01	4402	HZBSWC003	अनुपलब्ध	योजना	47814000.00
39	42	2053	SGHDAD076	अनुपलब्ध	योजना	44000000.00
40	42	2053	JSRDAD014	उप विकास आयुक्त	योजना	44000000.00
41	41	5054	PRJRN001	अनुपलब्ध	योजना	40000000.00
42	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	40000000.00
43	42	4515	SKLDAD014	डी.डी.सी.	योजना	39600000.00
44	42	4515	GDDDAD004	डी.डी.सी.	योजना	39600000.00
45	42	4515	DGRORDE98	उप विकास आयुक्त	योजना	39600000.00
46	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	37953000.00
47	42	2515	PRJORD016	अनुपलब्ध	योजना	36000000.00
48	2	4403	RNCAHY034	निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन संस्थान	योजना	35289397.00
49	42	4515	RNCDAD021	बी.डी.ओ.	योजना	35200000.00
50	42	2053	PLMDAD013	अनुपलब्ध	योजना	35200000.00

स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची से प्राप्त भी.एल.सी. डाटाबेस

परिशिष्ट 3.7

31 मार्च 2015 को अनुदान-वार बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित नियंत्रक अधिकारी

(संदर्भ : कंडिका 3.3.1 पृष्ठ 77)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी की स्थान	नियंत्रक अधिकारी
1	42-ग्रामीण विकास विभाग	BKRRDS001	बोकारो	सहायक अभियंता, आर.डी.एस.
2		SGHDAD021	डी.डी.सी. कार्यालय चाईबासा	डी.डी.सी., पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा
3		DGRORDE98	देवघर	उप विकास आयुक्त
4		GRDDAD026	गिरिडीह	उपायुक्त
5		GRDDAD027	गिरिडीह	उप विकास आयुक्त
6		GDDDAD004	गोड्डा	डी.डी.सी.
7		GDDDAD020	गोड्डा	उपायुक्त
8		JSRDAD014	जमशेदपुर	उप विकास आयुक्त
9		JMTDAD013	जामताड़ा	डी.डी.सी., जामताड़ा
10		JMTDAD016	जामताड़ा	उपायुक्त, जामताड़ा
11		CTRDAD003	कान्दा	अंचल पदाधिकारी
12		KDMDADA12	कोडरमा	उपायुक्त
13		KDMDADA14	कोडरमा	उप विकास आयुक्त
14		LTRDAD003	लातेहार	डी.डी.सी., लातेहार
15		LTRDAD025	लातेहार	उपायुक्त, लातेहार
16		LDGDAD003	लोहरदगा	डी.डी.सी.,
17		GMLDAD001	रायडीह	अंचल पदाधिकारी
18		GRHDAD016	रमूना	अंचल पदाधिकारी
19		SBJDAD001	साहेबगंज	उपायुक्त
20		SBJDAD022	साहेबगंज	डी.डी.सी.-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
21		SKLDAD014	सरायकेला	डी.डी.सी.
22		RNCDAD021	सिल्ली	बी.डी.ओ.
23		SDGDAD014	सिमडेगा	उपायुक्त
24		SDGDAD021	सिमडेगा	डी.डी.सी.
25		BKRRDS002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
26		BKRRDS005	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27		BKRRDS006	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28		BKRRDS007	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
29		BKRRDS008	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
30		CTRORD001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31		DHNORD001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
32		DMKDAD105	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33		DMKDAD107	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34		GMLORD003	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी की स्थान	नियंत्रक अधिकारी
35	42-ग्रामीण विकास विभाग	GRHORD009	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
36		HZBDAD055	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
37		HZBORD034	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
38		KHNDADK01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
39		KHNDADK02	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
40		LDGDAD030	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
41		PKRDADA07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
42		PKRORDA01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
43		PLMDAD012	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
44		PLMDAD013	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
45		PRJORD016	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
46		RGHORD029	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
47		RNCOTH010	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
48		SGHDAD076	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
49		SKLDAD042	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
50		TENRDS009	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
51	51-कल्याण विभाग	JMTSSW007	जामताड़ा	जिला कल्याण पदाधिकारी
52		JSRSSW001	जमशेदपुर	जिला कल्याण पदाधिकारी
53		LTRWSB001	लातेहार	जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार
54		PLMSSW002	डाल्टेनगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी
55		SDGSSW001	सिमडेगा	जिला कल्याण पदाधिकारी
56		SGHSSW016	चाईबासा	परियोजना पदाधिकारी, मेसो क्षेत्र
57	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	BKRMED001	बोकारो	एम.ओ. प्रभारी, ई.एस.आई.
58		DMKMED067	दुमका	अधीक्षक, सदर अस्पताल
59		JSRMED031	पूर्वी सिंहभूम	सिविल सर्जन
60		GRDMED003	गिरिडीह	सिविल सर्जन-सह-सी.एम.ओ.
61		GDDMED011	गोड्डा	अधीक्षक, सदर अस्पताल
62		SGHMED033	गोयलकेरा	आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी
63		KDMMEDA09	कोडरमा	सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
64		DRNMED033	राँची	अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
65		RNCMED013	राँची	प्रिसिपल, आर.एम.सी.एच.
66		SDGFMW002	सिमडेगा	अधीक्षक, प्रमण्डलीय अस्पताल
67		DGRMED002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
68		DRNMED124	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
69		HZBMED069	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
70		JMTMED058	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
71		KHNMEDL05	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
72		PKRMED009	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
73	RGHMED013	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
74	60-सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	BKRSSW001	बोकारो	जिला कल्याण पदाधिकारी
75		BKRSSW003	चास	उप प्रमंडलीय कल्याण पदाधिकारी
76		BKRSSW004	चन्दनक्यारी	सी.डी.पी.ओ.
77		BKRSSW005	बोकारो	सी.डी.पी.ओ.

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी की स्थान	नियंत्रक अधिकारी
78	60-सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	BKRSSW006	बोकारो	प्रोबेशन पदाधिकारी
79		MDHORDF25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
80		TENSSW007	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
81	22-गृह विभाग	BKRJLS001	बोकारो	कारा अधीक्षक
82		BKRPOL001	बोकारो	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
83		PLMJLS001	डाल्टेनगंज	कारा अधीक्षक, मण्डल कारा
84		PLMPOL001	डाल्टेनगंज	जिला समादेष्टा, जे.एच.जी. डाल्टेनगंज
85		DGRPOLB04	देवघर	उप पुलिस अधीक्षक (लेखा)
86		DMKJLS002	दुमका	अधीक्षक, केंद्रीय कारा
87		GRHJLS001	गढ़वा	अधीक्षक, मण्डल कारा
88		GRHOAS001	गढ़वा	जिला समादेष्टा, होम गार्ड
89		GRDOAS001	गिरिडीह	जिला समादेष्टा, होम गार्ड
90		GRDPOL003	गिरिडीह	उप पुलिस अधीक्षक (लेखा)
91		GDDPOL001	गोड्डा	पुलिस अधीक्षक
92		JMTPOL002	जामताड़ा	प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक (लेखा)
93		JMTPOL003	जामताड़ा	समादेष्टा, आई.आर.बी. जामताड़ा
94		JSROAS002	जमशेदपुर	जिला समादेष्टा, झारखण्ड होम गार्ड
95		JSRPOL002	जमशेदपुर	पुलिस अधीक्षक, रेलवे
96		JSRPOL004	जमशेदपुर	उप पुलिस अधीक्षक, जैप-6
97		JSRPOL006	जमशेदपुर	उप पुलिस अधीक्षक, यातायात
98		KDMPOLA01	कोडरमा	जिला समादेष्टा, झारखण्ड
99		KDMPOLA02	कोडरमा	पुलिस अधीक्षक
100		LDGJLS001	लोहरदगा	अधीक्षक, उप-कारा
101		RNCJLS001	राँची	एम.ओ. , बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा
102		RNCPOL010	राँची	उप महानिरीक्षक, दक्षिण
103		RNCSSW037	राँची	सी.डी.पी.ओ.
104		BKROAS003	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
105		DRNFB001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
106		DRNHGD001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
107		HZBPOL007	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
108		HZBPOL021	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
109		PKRPOL001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
110		PRJLS002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
111		PRJOAS006	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
112		PRJPOL002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
113		RGHJLS004	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
114		RNCJLSK01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची से प्राप्त भी.एल.सी. डाटाबेस

परिशिष्ट 3.8
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब
(संदर्भ: कंडिका 3.3.2; पृष्ठ 78)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ए.सी. विपत्र सं.	विपत्र की राशि	आहरण की तिथि	डी.सी. विपत्र समर्पण की निर्धारित तिथि	नमूना-जाँचित प्रमण्डल	बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि	प्रमण्डल में प्राप्त राशि की मात्रा	प्रमण्डल के द्वारा डी.सी. विपत्र समर्पण की मात्रा	डी.सी. विपत्र समर्पण की तिथि	डी.सी. विपत्रों के समर्पण में विलम्ब (माह में)
1	158/ 2005-06	249.74	03-01-2006	25-02-2006	हजारीबाग	601996/03-01-2006	5.47	5.47	10-07-2012	78
					राँची पश्चिम	604988/03-01-2006	7.87	7.87	16-06-2008	28
					मेदिनीनगर	604994/03-01-2006	3.29	3.29	18-04-2015	100
					गुमला	62166/03-01-2006	29.03	29.03	14-08-2012	78
2	190/ 2010-11	4938.00	19-03-2011	25-04-2011	हजारीबाग	828434/19-03-2011	218.62	218.62	10-07-2012	15
					साहिबगंज	828429/19-03-2011	180.97	180.97	13-07-2012	15
					मधुपुर	828445/19-03-2011	95	95	18-07-2012	15
					राँची पश्चिम	828448/19-03-2011	190.87	190.87	03-07-2012	15
					गिरिडीह-2	828443/19-03-2011	230.5	230.5	20-09-2012	17
					जमशेदपुर	828419/19-03-2011	170	170	07-05-2012	12
					गुमला	828416/19-03-2011	140	140	27-07-2012	15
					मेदिनीनगर	828432/19-03-2011	280.9	280.9	24-07-2012	15
सरायकेला	828423/19-03-2011	130.17	130.17	27-07-2012	15					
3	114/ 2011-12	6195.51	29-10-2011	25-11-2011	हजारीबाग	038128/29-10-2011	337.48	337.48	10-07-2012	8
					मधुपुर	038142/29-10-2011	131.79	131.79	18-07-2012	8
					राँची पश्चिम	038115/29-10-2011	105.82	105.82	03-07-2012	7
					गिरिडीह-2	038137/29-10-2011	212.2	212.2	20-09-2012	10
					जमशेदपुर	038120/29-10-2011	163.97	163.97	07-05-2012	5
					गुमला	038117/29-10-2011	159.79	159.79	27-07-2012	8
					मेदिनीनगर	038125/29-10-2011	360.63	360.63	24-07-2012	8
सरायकेला	038124/29-10-2011	203.8	203.8	27-07-2012	8					
4	191/ 2011-12	608.23	26-03-2012	25-04-2012	साहिबगंज	576681/26-03-2012	29.9	29.9	13-07-2012	3
					राँची पश्चिम	576667/26-03-2012	36.6	36.6	03-07-2012	2
					गिरिडीह-2	576678/26-03-2012	87.19	87.19	20-09-2012	5
					मेदिनीनगर	576671/26-03-2012	27.42	27.42	30-09-2012	5

परिशिष्ट 3.9

राजस्व अनुभाग के अधीन मुख्य कार्य

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2014	00	114	09	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत न्यायिक अकादमी को आधारभूत संरचना	0545 मुख्य कार्य	11.43
2515	00	001	28	अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) गैर-पी. एम. जी. एस. वाड़. पथ	0545 मुख्य कार्य	0.86
3054	03	337	01	पथ निर्माण	0545 मुख्य कार्य	2.48
3475	00	106	03	राज्य विधिक मापदंड का सुदृढीकरण	0545 मुख्य कार्य	1.19
कुल						15.96

परिशिष्ट 3.10

लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन (30 प्रतिशत एवं अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु-शीर्ष-800 के अधीन व्यय	कालम 5 का कालम 4 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.25	2.02	62.15
2	6801	पावर प्रोजेक्ट पर ऋण	779.04	421.28	54.08
3	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	191.90	93.55	48.75
4	2501	ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम	103.93	38.09	36.65
5	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10.43	3.28	31.45
कुल			1088.55	558.22	51.28

परिशिष्ट 3.11

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक) का संचालन

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष-800 के अधीन प्राप्तियाँ	कालम 4 का कालम 5 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1456	सिविल आपूर्ति	1.02	1.02	100.00
2.	1452	पर्यटन	2.51	2.51	100.00
3.	1055	पथ परिवहन	0.01	0.01	100.00
4.	0801	ऊर्जा	13.39	13.39	100.00
5.	0702	लघु सिंचाई	1.68	1.68	100.00
6.	0701	मध्यम सिंचाई	20.23	20.23	100.00
7.	0700	वृहत सिंचाई	194.97	194.97	100.00
8.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.2	0.2	100.00
9.	0404	डेयरी विकास	5.06	5.06	100.00
10.	0220	सूचना एवं प्रसार	0.18	0.18	100.00
11.	0217	शहरी विकास	36.87	36.87	100.00
12.	0211	परिवार कल्याण	0.25	0.25	100.00
13.	0075	विविध सामान्य सेवायें	23.11	23.11	100.00
14.	0058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.08	0.08	100.00
15.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	97.09	96.93	99.84
16.	0401	फसल व्यवस्था	16.34	16.2	99.14
17.	0852	उद्योग	2.06	2.01	97.57
18.	0406	वन एवं वन्य प्राणी	3.75	3.65	97.33
19.	0405	मत्स्य पालन	4.53	4.36	96.25
20.	0425	कॉ-आपरेशन	10.19	9.77	95.88
21.	0059	लोक निर्माण	2.09	2	95.69
22.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	50.58	46.9	92.72
23.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.16	3.83	92.07
24.	0051	लोक सेवा आयोग	0.49	0.44	89.80
25.	0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2.24	2.01	89.73
26.	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	13.19	11.42	86.58
27.	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	6.7	5.7	85.07
28.	0202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	42.25	31.72	75.08
29.	1054	सड़क एवं पुल	50.38	36.95	73.34
30.	0041	वाहन कर	660.37	441.15	66.80
31.	0403	पशु पालन	2.88	1.69	58.68
कुल			1268.85	1016.29	80.10

परिशिष्ट 3.12
विगत वर्षों के प्रावधानों से आधिक्य व्यय का विनियमन
(संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 82)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2002-03	10	ऊर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2003-04	10	ऊर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	आपदा प्रबंधन विभाग	61.33
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उद्योग विभाग	7.49
2004-05	39	आपदा प्रबंधन विभाग	69.34
2005-06	10	ऊर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
कुल			8120.12

अतिरिक्त राशि केवल ₹ 49,670 थी।

स्रोत: वर्ष 2013-14 के दौरान विधान मंडल द्वारा पारित प्रतिवेदन पर आधारित

परिशिष्ट 3.13
विलम्ब से सहायता
(संदर्भ : कंडिका 3.9.3.1; पृष्ठ 87)

जिला	अंचल	घटना की तिथि	उद्देश्य	प्रभावित/मृत व्यक्तियों की कुल संख्या	सहायता राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
बोकारो	चंदनकियारी	14.03.2012	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती	4	8000	08.05.2013	13
	जरीडीह	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	71	154400	15.05.2014	7
	गोमिया	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	35	134500	18.06.2014	8
	कसमार	14.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	3	5700	01.06.2015	19
	नावाडीह	13.04.2013	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती तथा बर्तन/कपड़ा के लिए	3	53100	01.07.2014	13
	नावाडीह	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	91	222000	08.07.2014	8
	चंद्रपुरा	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	3	5700	23.06.2014	8
	चंद्रपुरा	16.06.2013	उत्तराखण्ड त्रासदी	1	150000	20.05.2015	23
धनबाद	झरिया	04.07.2011	भारी वर्षा (चिकित्सा उद्देश्य)	1	15000	23.05.2014	33
	झरिया	04.07.2011	भारी वर्षा (मृत मामला)	1	100000	23.05.2014	33
	पूर्वी टुण्डी	11.07.2011	भारी वर्षा (मृत मामला)	1	100000	23.05.2014	33
	गोविन्दपुर	10.04.2011	आगजनी	1	5000	26.05.2014	37
	बलियापुर	13.10.2013	भारी तूफान (मकान की मरम्मती)	5	35700	26.05.2014	7
	झरिया	25.06.2011	मकान की क्षति	1	1500	26.05.2014	35
पलामू	सदर, मेदनीनगर	23.07.2009	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती	1	10000	09.02.2012	30
		23.03.2010		3	15000		22
		23.04.2010		1	5000		21
		14.05.2010		10	35000		20
	चैनपुर	17.02.2013	कृषि इनपुट (भारी तूफान)	93	188526	28.02.2014	12
	नवडीहा बाजार	16.02.2012	कृषि इनपुट (भारी तूफान)	7	67460	23.11.2013	21
राँची	इटकी	12.10.2013 एवं 14.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	104	209300	03.09.2014	11
		05.05.2014	फसल की क्षति के लिए	322	739884	11.05.2015	19
		15.07.2014	मकान की मरम्मती	14	35200	14.05.2015	19
	सिल्ली	01.06.2010	मकान की मरम्मती	1	10000	20.03.2012	21

जिला	अंचल	घटना की तिथि	उद्देश्य	प्रभावित/मृत व्यक्तियों की कुल संख्या	सहायता राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
राँची	सोनाहातू	30.03.2013	फसल की क्षति के लिए	5	6510	06.09.2014	17
				257	820692	31.12.2014	21
				31	121176	11.02.2015	22
				82	143868	07.04.2015	24
				92	157968	18.06.2015	27
	चान्हो	16.02.2010	फसल की क्षति के लिए	349	321400	09.08.2012	29
				900	1451096	22.06.2011	16
		19.07.2011 से 22.07.2011	फसल की क्षति के लिए	392	648608	05.07.2011	16
				302	201608	25.03.2013	20
		19.07.2011 से 22.07.2011	फसल की क्षति के लिए	1036	1620500	08.05.2013	21
				12.10.2013 से 14.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	41	157800
	03.05.2014	मकान की मरम्मती	11	25300	13.05.2015	12	
	खेलारी	13.10.2013 एवं 14.10.2013	मकान की मरम्मती	64	528800	08.07.2014	8
				लापुंग	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	10
			10	33400	31.03.2015	17	
साहिबगंज	बोरियो	28.12.2011	आगजनी की वजह से जीवन की हानि	3	300000	31.03.2014	27
		25.04.2009	आगजनी	7	28000	31.03.2014	59
		15.06.2009	आगजनी	1	4000	31.03.2014	57
		29.05.2010	आगजनी	4	16000	31.03.2014	46
		21.03.2011	आगजनी	3	12000	31.03.2014	36
		23.03.2011	आगजनी	1	4000	31.03.2014	36
	साहिबगंज	06.04.2011	आगजनी की वजह से जीवन की हानि	1	100000	16.01.2014	32
		02.09.2013	बाढ़ के कारण पशु की हानि	1	15000	07.04.2014	7
पूर्वी सिंहभूम	धालभूमगढ़	18.06.2011 से 23.09.2011	मकान की मरम्मती	104	319000	04.12.2012 से 21.12.2012	15
		15.06.2011 से 22.09.2011	मकान की मरम्मती	109	237500	27.08.2013	23
		04.05.2013	मकान की मरम्मती	274	883900	19.05.2014	12
	पटमदा	26.09.2008	मकान की मरम्मती	4	14500	27.08.2010	23
		02.01.2009	आगजनी के कारण मृत्यु	1	100000	08.03.2011	26
		02.01.2009	मूसलाधार बारिश के कारण मृत्यु	1	100000	31.03.2012	39
		28.06.2012	मकान की मरम्मती	13	129500	26.07.2013	13
		12.10.2013	मकान की मरम्मती	31	438750	22.09.2014	12

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

जिला	अंचल	घटना की तिथि	उद्देश्य	प्रभावित/मृत व्यक्तियों की कुल संख्या	सहायता राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
पूर्वी सिंहभूम	डुमरिया	12.10.2013 एवं 13.10.2013	मकान की मरम्मती	1078	3624100	19.07.2014 से 07.02.2015	10 से 16
		12.10.2013 एवं 13.10.2013	कपड़ा/बर्तन के लिए	39	105300	20.05.2014	7
	गुड़ाबन्दा	24.04.2014	मकान की मरम्मती	38	651200	23.05.2015	13
		12.10.2013 एवं 13.10.2013	मकान की मरम्मती	286	929000	06.06.2014 से 22.01.2015	08 से 15
	पोटका	13.10.2013	मकान की मरम्मती	372	2692700	23.02.2015 से 12.05.2015	16 से 19
	मुसाबनी	18.05.2011	मकान की मरम्मती	5	24500	21.11.2012	18
		13.05.2011 से 23.09.2011	मकान की मरम्मती	38	111000	19.12.2012	14 से 19
		24.03.2012	मकान की मरम्मती	1	1900	11.05.2013	14
		05.03.2012 से 24.03.2012	मकान की मरम्मती	4	22500	28.06.2013	15
		13.10.2013 से 14.10.2013	मकान की मरम्मती	122	726000	22.05.2014	8
	चकुलिया	12.10.2013 से 14.10.2013	मकान की मरम्मती	410	1380000	13.05.2014 से 14.06.2014	8
	गोलमुरी/ जुगसलाई	29.04.2011	मकान की मरम्मती	29	127500	12.06.2012	13
		04.03.2012	आगजनी के कारण मृत्यु	1	150000	22.03.2013	12
	कुल				7458		

परिशिष्ट 3.14

गैर सहायता

(संदर्भ : कंडिका 3.9.3.1; पृष्ठ 87)

जिला	घटना की तिथि	उद्देश्य	कुल आवंटित राशि	व्यय	अनुपयोग राशि	प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	विलम्ब (महीनों में)
बोकारो	11.04.2010	आगजनी के कारण बर्तन एवं कपड़ों की हानि	36000	0	36000	18	63
	19.04.2012	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती	11000	0	11000	1	39
	12.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	125100	0	125100	10	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	249900	134500	115400	36	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	22000	0	22000	4	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	227700	222000	5700	3	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	660000	510000	150000	1	21
पलामू	20.05.2014	आगजनी की वजह से पशुओं की हानि	77250	-	77250	6	14
	20.05.2014	आगजनी के कारण बर्तन एवं कपड़ों की हानि	18700	-	18700	10	14
राँची	27.04.2010	मकान की मरम्मती	628000	0	628000	-	63
	जून-2011	मकान की मरम्मती	155500	0	155500	103	49
पूर्वी सिंहभूम	12.10.13 एवं 13.10.13	मकान की मरम्मती	3944900	3624100	320800	140	21
	24.04.14	मकान की मरम्मती	668800	651200	17600	-	15
	12.10.13 एवं 13.10.13	मकान की मरम्मती	965000	929000	36000	10	21
साहिबगंज	09.01.11	अनुग्रह (आगजनी)	35000	0	35000	1	55
	16.05.12	मकान की मरम्मती	775000	0	775000	310	38
		कपड़ों एवं बर्तनों की क्रय	837000	0	837000		
	05.04.13 से 11.04.13	कपड़ों एवं बर्तनों की क्रय	456300	0	456300	169	27
	17.06.2012	जीवन की हानि	300000	0	300000	2	38
17.06.2012	नाव दुर्घटना	12140	0	12140	4	38	
कुल					4134750	828	14 से 63

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिरूपनी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्रप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखल अन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्रहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मर्दे जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तिर्थाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरियों
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in